सर्वोदय जगत

वर्ष- 44, अंक- 3, 16-30 सितंबर 2020

न्यायाधीश न्याय की देवी का पुजारी, आराधक और साधक है। उसका चिंतन, आचरण और कृति, जिस आसन पर वह बैठता है, उसके आदर्शों और अपेक्षाओं के अनुरूप होना ही उसे न्यायाधीश का बाना पहनने का पात्र बनाता है। इसीलिए न्यायाधीश का उद्देश्य, आचरण और कार्यशैली सभी उत्कृष्ट होने चाहिए। नीतिशास्त्र कहता है कि मूर्ख, व्यसनी, लोभी, प्रगल्भ, भीरु, क्रूर और अन्यायी–न्यायधीश ऐसा नहीं होना चाहिए।

-सुकरात

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 44, अंक : 03, 16-30 सितंबर 2020

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह **भवानी शंकर कुसुम**
प्रो. सोमनाथ रोडे **अरविन्द अंजुम**
अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क
एक प्रति : 05 रुपये
वार्षिक : 100 रुपये
आजीवन : 1000 रुपये
खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के फैसलों ने... 3
3. देश 'ऐक्ट ऑफ गॉड' से चल रहा और... 5
4. कसौटी पर न्याय के आदर्श... 6
5. प्रशांत भूषण के लिए यहां से दो रास्ते... 7
6. मजलूमों के लिए मुश्किल होता इंसाफ... 8
7. लोगों के अधिकारों का दमन कर रही... 10
8. जनता की चुप्पी और मीडिया का... 11
9. राष्ट्रीय तालाबंदी की निरर्थक कवायद... 12
10. हम देश को कौन सी कहानी सुनायें... 13
11. महामारी और मीडिया... 15
12. श्रद्धांजलियां... 17
13. साम्प्रदायिक सौहार्द की मानवीय... 18
14. विनोबा की 125वीं जयंती पर देश भर... 19
15. कविताएं... 20

संपादकीय

लोकमत के निर्माण में जुटें

कोरोना फैल रहा है, किन्तु साथ ही 'अनलॉक' की प्रक्रिया भी पूर्ण प्रभाव से गतिविधियों को संचालित करने की छूट दे रही है। ऐसे में सर्वोदय कार्यकर्ताओं एवं गांधीजनों को भी चाहिए कि वे 'लोकमत निर्माण' के कार्य में जुटें। बिहार में विधान सभा के चुनाव और देश भर में होने वाले उपचुनावों में भी राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय होंगे। ऐसे में गांधी-जनों को वेबिनार या जूम पर चर्चा से बाहर निकलकर लोक के बीच संवाद-संपर्क को बढ़ाना होगा।

'लोकमत निर्माण' का मतलब है नव-विचारों को विमर्श में लाना, सामाजिक तथ्य आधारित अवधारणाओं को प्रस्तुत करना तथा सिद्धांतों का निरूपण करना। 'लोकमत निर्माण' का अर्थ है, सत्य का प्रयोग लोक संवाद के साथ करना। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं वस्तु जगत के संदर्भ में, उसी प्रकार गांधीजन सत्य का प्रयोग अर्थात् 'लोकमत निर्माण' का प्रयोग करें। इसमें नव-विचार पर विमर्श भी लोक भागीदारी से होगी, अवधारणाओं का निर्माण भी लोक द्वारा होगा तथा सिद्धांतों का निरूपण भी लोक द्वारा किया जायेगा।

इस प्रक्रिया में 'तर्क' केवल एक पक्ष होगा। अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष गांधीजनों द्वारा अपनी चेतना के उत्थान का प्रयोग और इसके साथ ही लोक चेतना व लोक अभिक्रम के उत्थान का प्रयोग होगा। इस प्रकार 'लोकमत निर्माण' का अर्थ होगा सामूहिक रूप से तथ्य से सत्य के उद्घाटन की प्रक्रिया।

अब हम समझें कि किन अवधारणाओं को सिद्धांत में बदलना है। पहली अवधारणा यह है कि लोकसत्ता के निर्माण के लिए लोक-समुदाय को मजबूत करना होगा। यानि लोकसत्ता का निर्माण बिना लोक समुदाय को मजबूत किये संभव नहीं होगा और लोक समुदाय मजबूत तभी होगा, जब स्थानीय व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार लोक को होगा। उपयोग के अधिकार को ट्रस्टी विचार के परिप्रेक्ष्य में समझें, सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में नहीं।

दूसरी अवधारणा यह है कि लोकसत्ता के निर्माण में केन्द्रीकृत व्यवस्था बाधक है, वैश्विक पूंजीवाद तथा वैश्विक पूंजीवादी बाजार ने लोक समुदायों को नष्ट किया है तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, खनिज, बीज, पशुधन आदि से लोक समुदायों को बेदखल कर दिया है। इसलिए लोगों को जागरूक करना होगा कि वे उन विचारों व सिद्धांतों से अपने को बचायें, जो लोकसत्ता, लोक समुदाय तथा लोक समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार को खत्म करने का सिद्धांत देते हैं।

तीसरी अवधारणा यह है कि व्यक्ति का समग्र विकास उसी सामूहिक या सामुदायिक व्यवस्था में हो सकता है, जिसमें उसकी बराबरी की भागीदारी हो, अन्यथा व्यक्ति के सारभूत सत्त्व (essence) और व्यवस्था के सारभूत सत्त्व में अंतर्विरोध होगा, टकराव होगा। यह बात समझने की है कि हर व्यवस्था (विशेषकर कोई भी केन्द्रीकृत श्रेणीबद्ध व्यवस्था) सामूहिकता का परिचायक नहीं होती। जैसे दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, फैक्टरी सिस्टम या कोई भी श्रेणीबद्ध व्यवस्था (hierarchy) सामूहिकता का परिचायक नहीं होती। इन व्यवस्थाओं के सारभूत सत्त्व एवं व्यक्ति के सारभूत सत्त्व के बीच टकराव को व्यक्ति एवं समाज (या सामूहिकता) के बीच टकराव के रूप में व्याख्यायित करना गलत है। हाल ही में हमने देखा है कि जो लोक अधिकार के खिलाफ हैं, वे छद्म रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रकारांतर से व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता को भी खत्म करना चाहते हैं। व्यक्ति की स्वायत्तता, समुदाय की स्वायत्तता और राष्ट्र की स्वायत्तता में सह-संवर्द्धकता का संबंध संभव है और ऐसी ही व्यवस्था के निर्माण की दिशा में प्रयास करना होगा। जहां व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र की संरचनाओं में टकराव हो, वहां व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन करना युग धर्म होता है।

आधुनिक वैश्विक व्यवस्थाएं व उनकी शाखाओं की संरचना ऐसी है कि वे व्यक्ति की स्वायत्तता तथा समुदायों की स्वायत्तता नष्ट कर रही हैं। व्यवस्थाओं और राजसत्ताओं के खिलाफ युग परिवर्तनकारी विचार तथा युग परिवर्तकारी क्रांतियां इसी कारण हुईं क्योंकि व्यक्ति समाज में तो रहना चाहता है लेकिन ऐसे समाज में नहीं, जहां सुरक्षा और विकास के नाम पर शोषण और अत्याचार हो। नये युग के निर्माण के लिए लोकमत के निर्माण कार्य में पूरी निष्ठा से लगना होगा।

–बिमल कुमार

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के फ़ैसलों ने अडानी समूह को फ़ायदा पहुंचाया

❑ अबीर दासगुप्ता/परंजय गुहा ठाकुरता

सुप्रीम कोर्ट से न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा का रिटायरमेंट हो चुका है और वे अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े अंतिम मामले पर अपना फैसला सुना चुके हैं। यह 2019 के बाद से न्यायमूर्ति मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच द्वारा सुना जाने वाला अडानी समूह की कंपनियों से जुड़ा सातवां मामला था, जिसमें सातों फ़ैसले इस ग्रुप के पक्ष में गये हैं। इस सातवें मामले में भी फैसला अडानी समूह के पक्ष में ही गया है, जिससे राजस्थान में सार्वजनिक बिजली वितरण संस्थाओं और उपभोक्ताओं को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। **–सं.**

आजकल अज्ञात मूल का एक दस्तावेज़ राजधानी में घूम रहा है। सात अदालती मामलों को सूचीबद्ध करने वाले दो-पेज के ये दस्तावेज़ कथित तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ वक़ीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस दस्तावेज़ में देश की शीर्ष अदालत की तरफ़ से उठाये गये सात मामले सूचीबद्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक में अडानी समूह शामिल है और जिनमें से प्रत्येक को न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुना है। सुप्रीम कोर्ट इन सातों मामलों में अडानी समूह के पक्ष में फ़ैसला सुना चुका है, जिससे भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी की अगुवाई वाले कॉरपोरेट समूह को हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी राशि का फ़ायदा पहुंचा है।

अगस्त 2019 में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अडानी समूह की कंपनियों से जुड़े कुछ मामलों में प्रक्रियागत अनियमितता का आरोप लगाते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखा था। अदालत के सभी न्यायाधीशों को भेजे गये और अब सार्वजनिक डोमेन में आ चुके अपने उस पत्र में दवे ने विशेष रूप से उन दो मामलों पर ध्यान आकर्षित किया था, जिनके बारे में उनका आरोप था कि उस वर्ष उन मामलों को गर्मी की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा 'अनुचित रूप से' सूचीबद्ध किया गया था।

इस लिस्टिंग को लेकर उन्होंने आरोप लगाया था कि वह 'स्थापित कार्यप्रणाली और प्रक्रिया' के मुताबिक़ बेहद अनुचित है। दवे ने आरोप लगाया कि दोनों मामलों को 'जल्दी और अनुचित तरीक़े से' सूचीबद्ध किया गया, उनकी सुनवाई की गयी और फ़ैसले दिये गये।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए इन मामलों का फ़ैसला न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली अदालत की अवकाश पीठ द्वारा किया गया। दवे ने अपने उस पत्र में दो अन्य मामलों की ओर भी इशारा किया, जिनमें अडानी समूह शामिल था और जहां न्यायाधीश के नेतृत्व में पीठों द्वारा 'अनुकूल' फ़ैसले दिये गये थे।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अक्टूबर,1999 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और जुलाई, 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के उच्च पद पर आसीन हुए थे, इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में आयी थी। उनके बारे में कहा गया था कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समान विचार रखते हैं, लिहाजा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासन के दौरान मई 2014 से पहले तीन बार सुप्रीम कोर्ट में उनके पदोन्नयन को खारिज कर दिया गया था।

उनके बारे में यह धारणा इसलिए बनी थी,क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ न्यायमूर्ति मिश्रा की कथित निकटता कम से कम दो बार जगज़ाहिर हुई है। दिसंबर,2016 में तब, जब उनके भतीजे की शादी में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था तथा फ़रवरी, 2020 में तब, जब न्यायमूर्ति मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करते हुए उन्हें 'बहुमुखी प्रतिभा' वाले और 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी' व्यक्ति बताया था। अपने लम्बे करियर के दौरान जस्टिस मिश्रा ने 100,000 से ज्यादा मामलों पर फ़ैसले दिये हैं, जिनमें कई फ़ैसले 'राजनीतिक रूप से संवेदनशील' और हाई-प्रोफ़ाइल फ़ैसले भी माने जाते हैं।

2015 में वह भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, एच.एल.दत्तू के साथ उस पीठ में भी थे, जिसने भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व अधिकारी,संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 2002 में मुसलमानों के खिलाफ़ हुए गुजरात दंगों की जांच को फिर से खोले जाने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गयी थी।उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे। भट्ट ने उस याचिका में दावा किया था कि वह पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की उस बैठक में खुद मौजूद थे, जहां मोदी ने उस बैठक में मौजूद अफ़सरों को कथित रूप से दूसरी तरह से निपटने के निर्देश दिये थे, जबकि तीन दिन तक दंगे और आगज़नी होती रही थी। भट्ट की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने 'साफ़ इरादों' के साथ अदालत से संपर्क नहीं किया है और उनकी याचिका प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों को फ़ायदा पहुंचाने को लेकर प्रेरित है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने 2017 में उस दो सदस्यीय पीठ का भी नेतृत्व किया था, जिसने 'सहारा-बिड़ला पत्रों' की जांच की याचिका को खारिज कर दिया था। उस मामले में केंद्रीय जांच

ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे के दौरान आदित्य बिड़ला समूह के कार्यालयों से बरामद दस्तावेज़ सामने आये थे। इन दस्तावेज़ों से पता चला था कि बड़ी मात्रा में विभिन्न लोकसेवकों और राजनेताओं को अलग-अलग समय पर रक़म का भुगतान किया गया था। इनमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे, जिन्होंने सहारा समूह के एक वरिष्ठ कार्यकारी के कंप्यूटर से ज़ब्त किये गये दस्तावेज़ की एक प्रविष्टि में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये का भुगतान तब प्राप्त किया था, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन दस्तावेज़ों को पहली ही नज़र में 'हल्के दस्तावेज़' के तौर पर दिखाते हुए खारिज कर दिया था और इस मामले की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

मेडिकल कॉलेज 'घोटाला'

जस्टिस मिश्रा उस बेंच में भी थे,जिसने कथित 'मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाले' से जुड़े मामले पर फ़ैसला दिया था। यह मामला उस आरोप से पैदा हुआ था कि मेडिकल कॉलेज चलाने वाली प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट नामक एक संस्था ने चिकित्सा पाठ्यक्रम के सिलसिले में अपने लाइसेंस को लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रहे एक मामले में 'अनुकूल फ़ैसला' पाने के लिए 'सम्बद्ध लोक पदाधिकारियों को रिश्वत दी थी। इस मामले ने कुछ भागीदारों और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस दीपक मिश्रा के बीच कथित सम्बन्धों के चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिन्होंने उस बेंच की अध्यक्षता की थी,जो बेंच उस मेडिकल कॉलेज के लाइसेंस से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं को अदालत की अवमानना की धमकी दी। हालांकि, आखिरकार ये याचिकाएं उन तीन न्यायाधीशों वाली बेंच के सामने सूचीबद्ध की गयीं थीं, जिनमें जस्टिस अरुण मिश्रा खुद भी शामिल थे। 2017 के नवंबर और दिसंबर में इस पीठ ने उन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें से एक पर 'न्यायाधिक ख़रीदारी' और दूसरे में 'देश की उच्चतम न्यायिक प्रणाली पर लांछन लगाने' का आरोप लगाया गया था।

जज लोया केस

न्यायमूर्ति मिश्रा दो न्यायाधीशों की उस पीठ का भी एक हिस्सा थे, जो 'न्यायाधीश लोया' मामले की सुनवाई के लिए शुरू में गठित की गयी थी। न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत के आसपास की असामान्य परिस्थितियों पर 2017 में मीडिया में सनसनीखेज खुलासे से उस समय देश में काफी हंगामा मचा था। अपनी मृत्यु के समय जज लोया एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो गुजरात पुलिस द्वारा सोहराबुद्दीन शेख नामक एक कथित जबरन वसूली करने वाले शख्स और उसके एक ज्ञात सहयोगी की हत्या के साथ साथ-साथ उसकी पत्नी कौसर बी के बलात्कार और हत्या के कथित मामले से जुड़ा हुआ था।

गुजरात पुलिस के खिलाफ़ इस मामले में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फंसने की संभावना थी, जो कथित हत्याओं के समय गुजरात के गृह मंत्री थे। जज लोया की कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से नागपुर के एक होटल में मौत हो गयी थी, जबकि अपनी मौत के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने शाह को उस मामले की चल रही कार्यवाही में उनके सामने उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।

अडानी के पक्ष में सात फ़ैसले

29 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के खिलाफ़ एक मामले में अडानी गैस लिमिटेड के पक्ष में फैसला दिया था। प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क परियोजनाओं से जुड़ा हुआ यह वह मामला था,जिसे कंपनी उदयपुर और जयपुर में चला रही थी। राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया गया था और राज्य सरकार द्वारा अडानी गैस के एक आवेदन को नामंज़ूर कर दिया गया था। अगला ऐसा मौक़ा 2 मई, 2019 को आया, जब न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और अब्दुल नज़ीर की एक पीठ ने टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड के खिलाफ़ एक मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के पक्ष में फ़ैसला दिया था। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, जो उस आदेश के समय रिलायंस एडीएजी (अनिल धीरूभाई अंबानी समूह) से मुंबई में बिजली वितरण कारोबार का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में थी, उस आदेश की लाभार्थी थी, जिसने मांग के आरोपों को लेकर अपने और रिलायंस एडीएडजी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में टाटा पॉवर के तर्कों को खारिज कर दिया था। 7 मई, 2019 को न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति शाह की पीठ ने राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन फर्म के खिलाफ़ एक मामले में खनन कोयले के क्षेत्र में काम करने वाली अडानी समूह की कंपनी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया।

इसके बाद, अडानी पॉवर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बीच एक मामले में सुनवाई की मांग करते हुए 23 मई, 2019 को न्यायमूर्ति मिश्रा और शाह की उसी अवकाश पीठ के सामने एक प्रारंभिक सुनवाई की अर्जी दी गयी। इस मामले की सुनवाई अगले दिन जस्टिस मिश्रा, जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने की और एक ही सुनवाई के बाद फ़ैसले को सुरक्षित रख लिया गया। 2 जुलाई, 2019 को सुनाये गये अपने आदेश में इस पीठ ने अडानी को गुजरात सरकार की वितरण संस्था को बिजली बेचने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के ज़रिये हासिल किये गये अनुबंध को रद्द करने की अनुमति इस आधार पर दी थी कि सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी अडानी पावर मुद्रा को कोयला आपूर्ति प्रदान करने में विफल रही थी।

आखिरकार, 22 जुलाई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली उस पीठ ने इस मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी,पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ़ अडानी की कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया,जिसमें न्यायमूर्ति भूषण गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल थे। ❑

देश 'ऐक्ट ऑफ़ गॉड' से चल रहा और जज दे रहे 'ईश्वरीय प्रेरणा' से फैसले!

❑ जेपी सिंह

उज्जैन के महाकालेश्वर मन्दिर के प्रबंधन के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने साथी जजों से कहा कि शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। यह देश जहां ऐक्ट ऑफ़ गॉड से चल रहा है, वहीं विद्वान जज ईश्वरीय प्रेरणा से फैसले कर रहे हैं। संविधान और कानून किताबों तक सीमित होकर रह गये हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा की सामाजिक रूढ़िवादिता उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्तों की उपेक्षा में महत्वपूर्ण कारक प्रतीत होती है। पूजा स्थलों, अश्लीलता और लैंगिक न्याय के लिए राज्य की नीति पर उनके निर्णय कानून से अधिक व्यक्तिगत मूल्यों को दर्शाते हैं। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कलेक्टर को आवश्यक मरम्मत, रखरखाव और सुधार की व्यापक योजना के लिए फंड स्वीकृत करे।

जस्टिस अरुण मिश्रा ने मिसाल पेश की, जब उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बिगड़ते हुए 'लिंगम' को बनाए रखे। जस्टिस अरुण मिश्रा के रूढ़िवाद ने धर्म विषयक उनके फैसले को काफी हद तक प्रभावित किया। जस्टिस मिश्रा ने इस फैसले में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के 2002 के गुजरात दंगों में नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों की बहाली पर पहले के फैसले का उल्लेख नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य को उनकी बहाली के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने का कोई अधिकार नहीं था। जस्टिस मिश्रा इस न्याय दृष्टांत को भूल गये कि सरकार का काम सरकारी पैसे से मन्दिर के संरक्षण का नहीं है।

अभी हाल ही में, निशिकांत दुबे बनाम भारत संघ मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि श्रावण माह के दौरान देवघर के बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में जनता द्वारा कोविड -19 के कारण पूजा पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है। पीठ ने कोरोना संकट काल में भीड़ न लगे, इसके लिए सीमित संख्या में दर्शन करने की व्यवस्था की सलाह दी। पीठ ने कहा कि आने वाली पूर्णमासी और भादो महीने में नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाए।

झारखण्ड सरकार की ओर से 30 जुलाई को जारी आदेश में मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसी आदेश को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस दौरान निशिकांत दुबे के अधिवक्ता की ओर से मंदिर में ज्यादा संख्या में पंडों के पूजा करने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में पूजा करें। इसको लेकर सरकार उन्हें रेगुलेट भी करे। पीठ ने झारखंड सरकार से पूछा कि पूरा देश खुल रहा है, केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल क्यों बंद हैं? महत्वपूर्ण दिनों में उन्हें खुलना चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने ये आदेश दिया है कि सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रखे जाएं।

केरल की एक एक्टिविस्ट रेहाना फ़ातिमा की अग्रिम जमानत याचिका को 7 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने खारिज कर दिया। जस्टिस मिश्रा ने रेहाना फ़ातिमा के वकील गोपाल शंकर नारायणन से पूछा कि वह उनके कार्यकाल के अंतिम दौर में यह याचिका उनके सामने क्यों लाए?

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये किस तरह का केस आप हमारे पास लेकर आए हैं? मैं हैरान हूं। इस तरह के केस में इंटरेस्ट नहीं है। आप बच्चों का इस्तेमाल इस तरह से कैसे कर सकते हैं? इससे किस तरह की संस्कृति बच्चे सीखेंगे? रेहाना के वकील ने कहा कि जो वीडियो बनाया गया था, उसका मकसद सेक्सुअलिटी को लेकर फैली छोटी सोच के खिलाफ जागरूकता पैदा करना था। उनका (रेहाना) स्टैंड ये था कि अगर कोई आदमी सेमी न्यूड खड़ा होता है, तो इसमें कोई सेक्सुअल बात नहीं होती। लेकिन अगर कोई औरत ऐसा करे, तो इसे अश्लील माना जाता है। उनका कहना है कि इसे खत्म करने का तरीका ये है कि लोगों को संवेदनशील बनाया जाए।

शंकर नारायणन ने रेहाना की तरफ से कहा कि मैं यहां नैतिकता के मुद्दे पर नहीं हूं। मेरे ऊपर जिस तरह के प्रावधान लगाए गए हैं, मैं उन पहलुओं पर बात कर रही हूं।वीडियो में दिख रहे बच्चे पूरे कपड़े पहने हुए थे। फिर पॉक्सो का सेक्शन 13 कैसे लग सकता है? इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हां, पहली नज़र में ये लगता है। हाईकोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर ध्यान दे दिया है

दरअसल रेहाना पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 13 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। ये सेक्शन उस वक्त लगता है जब पोर्नोग्राफिक मैटेरियल प्रोड्यूस करने में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर रेहाना के वकील ने दलील दी थी कि बच्चे पूरे कपड़े में हैं, इसलिए ये सेक्शन नहीं लगना चाहिए

जस्टिस अरुण मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पॉक्सो एक्ट के तहत या फिर जो भी धाराएं इस केस में लगी हैं, उनके तहत अपराध नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने इस केस में पॉक्सो एक्ट के लगने को सही माना था और कहा था कि ऐसा लग रहा है, जैसे 'यौन संतुष्टि' के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया है, जो 'अश्लील' है। रेहाना इससे पहले 'किस ऑफ लव प्रोटेस्ट' और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुर्खियों में रह चुकी है।

पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 21 आरोपी के पक्ष में निर्दोषता का अनुमान लगाता है, इसलिए यह दंडात्मक विधियों और उनके कार्यान्वयन के बारे में विचार के केंद्र में होना चाहिए। धारा 438 सीआरपीसी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है जो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित तरीके से लागू की जानी चाहिए।

पीठ ने इसके समर्थन में पूर्व न्याय दृष्टान्तों का भी उद्धरण दिया था। इस मामले में पीठ ने यह भी कहा था कि अग्रिम जमानत देना चाहे तो न्यायाधीश के विवेक का मामला है, लेकिन अगर यह मंजूर किया जाता है, तो इसे बिना किसी प्रतिबंध के अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए, जब तक कि इसे सीमित करने के लिए कोई विशिष्ट कारण न हो।

- जनचौक

झुग्गियां उजाड़ने का आदेश

कसौटी पर न्याय के आदर्श

❑ महेन्द्र मिश्र

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को जब जस्टिस अरुण मिश्रा के फेयरवेल में नहीं बोलने दिया गया तो उन्होंने अपना वक्तव्य सार्वजनिक कर दिया, जिसे वह उस आयोजन में रखने वाले थे। इस वक्तव्य में उन्होंने जस्टिस मिश्रा को अपने भीतर झांकने की सलाह दी है। वैसे तो यह बयान दवे और बार की तरफ से था, लेकिन जस्टिस मिश्रा के पूरे कार्यकाल को देखने के बाद यह देश के हर सचेत नागरिक की तरफ से हो गया है। खास कर अपने कार्यकाल के आखिरी सप्ताह में उन्होंने जो फैसले दिए हैं, उनसे जस्टिस मिश्रा के लिए दवे की दूसरी सलाह भी बिल्कुल फिट बैठती है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से उनकी चेतना को जगाने की प्रार्थना की है। आखिरी दिन आए उनके फैसले के बाद यह बात स्पष्ट तरीके से समझी जा सकती थी कि आखिर दवे ने ऐसी जरूरत क्यों महसूस की। दरअसल आखिरी दिन दिया जाने वाला फैसला कोई जज तो क्या, मानवता में न्यूनतम विश्वास करने वाला शख्स भी नहीं देगा।

उन्होंने दिल्ली में रेलवे की पटरियों के किनारे 70 किमी के दायरे में बनी झुग्गी-झोपड़ियों को उजाड़ने का आदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर स्टे उस पर लागू नहीं होगा। बदले में किसी मुआवजे तक का जिक्र नहीं किया गया।

एक ऐसे दौर में, जबकि पूरा देश महामारी की तबाही का सामना कर रहा है, गरीब तो क्या, मध्यवर्ग तक के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है, रोजगार केवल जा रहा है, नौकरियां केवल छीनी जा रही हैं, वेतन कटौती आम है, फैक्टरियां बंद हैं, नया काम नहीं है, ऐसे में सरकार तक उनको एक पाई देने के लिए तैयार नहीं हुई। कोरोना काल में और उसके बाद गरीबों समेत सभी जरूरतमंदों के जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़े, इसको देखने की जिम्मेदारी सरकार की थी और अगर वह अपनी जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतरी तो उसको याद दिलाना न्यायालय का काम था। झुग्गियां उजाड़ने की जगह मारे-मारे फिर रहे लोगों को बसाने और उनके दरवाजे पर जाकर भोजन मुहैया कराने और उनके हाथों में कुछ नकद पैसा देने के लिए वह सरकार को निर्देशित करता, लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की धारा ही उलट दी।

सहायता करने की बात तो दूर, वह सीधे उनके घरों से उजाड़कर उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहता है। जस्टिस मिश्रा जब यह फैसला लिख रहे थे तो उन्हें उसी कलम से दिए गए अपने पिछले फैसले की याद भी नहीं आई, जिसमें उन्होंने राजस्थान बिजली विभाग के मामले में अडानी को 5000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है। ये कैसी अदालतें हैं? कैसी है इनकी न्याय व्यवस्था और कैसा है यह कल्याणकारी राज्य, जिसमें एक जज गरीब से उसका घर छीन ले रहा है और अमीर को उसी कलम से मालामाल कर दे रहा है?

चलिए जज साहब, मैं आप से अडानी को 5000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी कलम उस समय क्यों नहीं चलती, जब एक रुपये की लीज पर हजारों हजार एकड़ जमीन इन कॉरपोरेट घरानों के नाम कर दी जाती है? जब आदिवासियों को उनके स्थानों से उजाड़कर खनन और खदानों के आवंटन के नाम पर हजारों हजार एकड़ जमीनें किसी अडानी और किसी अंबानी को दे दी जाती हैं? यह सब तो जनता की संपत्ति है, लेकिन उसे पूरे गाजे-बाजे के साथ इन पूंजीपतियों के हवाले किया जाता है। शहर में निजी अस्पतालों के निर्माण का मामला हो या फिर स्कूलों की पंच सितारा इमारतें बनाना हो, इनके मालिकों को मिली एक रुपये की लीज वाली जमीनों पर तो आप ने कभी एतराज जाहिर नहीं किया।

दरअसल यह आपकी गरीब विरोधी मानसिकता है, जो आप से यह सब कुछ करवाती है। वरना आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं। आप के लिए क्या गरीब, क्या अमीर और क्या कोई दूसरा, सब बराबर हैं, क्योंकि न्याय की देवी की आंखें तो बंद होती हैं। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इस धरती पर पैदा होने वाले हर शख्स का बराबर का हक है। यानी जितनी धरती एक अमीर की है, उतनी ही गरीब की। कम से कम प्राकृतिक संसाधनों पर तो यह बात 100 फीसदी लागू होती है। फिर आप किसी गरीब को कैसे एक झुग्गी में भी नहीं रहने देंगे, लेकिन किसी अडानी और रामदेव को हजारों-हजार एकड़ जमीनें मुफ्त में सरकार को देने देंगे? यह जो रामदेव और अंबानियों-अडानियों को जमीनें दी जाती हैं, भला वो किसकी जमीनें होती हैं? क्या उन जमीनों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले इन गरीबों

की हिस्सेदारी नहीं है?

अगर प्राकृतिक संसाधन आम जनता के हैं, तो इस तर्क से उनमें किसी अडानी से बड़ा हिस्सा गरीबों का हो जाता है, लेकिन कौन कहे अडानी से? उनका हिस्सा दिलवाने के लिए आप खुद गरीबों को ही उनके घरों से उजाड़ दे रहे हैं और यह कोई एक फैसला नहीं है। इसके पहले आप इसी तरह के लगातार फैसले दिए जा रहे थे, अब तो उनकी सूची भी सार्वजनिक हो गई है। जाते-जाते आपने जियो को अभयदान देकर अंबानी के टेलीकाम सेक्टर में एकछत्र राज करने की व्यवस्था भी कर दी। इसके तहत आप ने वोडाफोन और आइडिया को इतना पैसा जमा करने का निर्देश दे दिया है, जिससे उनके लिए अपनी कंपनी चलाने की जगह, व्यवसाय छोड़कर बाहर जाना ही फायदेमंद रहेगा।

दरअसल अपने झुग्गी संबंधी इस फैसले के जरिये जस्टिस मिश्रा कॉरपोरेट की ही सेवा करना चाहते हैं। हम सब को पता है कि रेलवे का बड़े स्तर पर निजीकरण होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ी बोली और सबसे ज्यादा मांग मेट्रो शहरों में स्थित रेलवे की जमीनों की होगी। लिहाजा जमीन लेने के बाद उसके रास्ते में झुग्गी सरीखी इस तरह की कोई बाधा न हो, उसको कारपोरेट सरकार से सुनिश्चित करवा लेना चाहता था। दिल्ली के संबंध में दिया गया यह फैसला भी किसी कॉरपोरेट घराने की सरकार के साथ मिलीभगत के बाद आया हो, तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए।

आप अपने को भगवान का भक्त भी कहते हैं। कौन ऐसा भगवान होगा जो इतना अन्याय करता होगा? या फिर कौन ऐसा भक्त होगा, जो इतने अन्याय को माफ करने का बोझ अपने भगवान पर डालेगा? चलिए, आपको संविधान की बात समझ में नहीं आती है। आप अंतरात्मा और भगवान को ही जानते हैं। अपने आखिरी फैसले में आपने उज्जैन के महाबलेश्वर की भी रक्षा की व्यवस्था कर दी। आप भक्त हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप न्यायाधीश नहीं थे। मैं आपको न्यायाधीश मानने से इंकार करता हूं। हां, आप स्वयंसेवक जरूर थे। इस दौर में और इसके पहले भी जितनी सेवा की जरूरत संघ को थी, आपने उसको पूरा किया।

-जनचौक

प्रशांत भूषण के लिए यहां से दो रास्ते थे

❑ चंचल

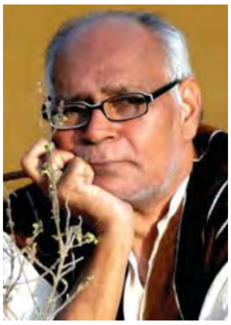

प्रशांत भूषण की सजा की स्क्रिप्ट तो 17 मार्च 1917 को चंपारन में ही लिखी जा चुकी थी। बस उसे मंच पर आना था, पूरी सार्थक समझ के साथ। अब हम आज की इस पीढ़ी से मुखातिब हैं, जो दिशाहीन बने चौराहे पर खड़े हैं। इन्हें बीच बीच में काम भी मिल जाता है, मुंह में उत्तेजित नारा, मुट्ठियों में जोश और 'कहीं के न हुए' का रोष इन्हें हिंसक बना रहा है। ऐसे में प्रशांत भूषण के बहाने नये सिरे से 'सत्य की ताकत' का एक चैप्टर खुला है।

भारत के सुराज का इतिहास परत दर परत बिखरा पड़ा है। आइये, चंपारन चलते हैं। इसी चंपारन ने मोहनदास के गांधी का नाम छोटा कर दिया और कद महात्मा तक जा पहुंचा। यहीं पर गांधी की पहले पहल एक 'धुनी और जिद्दी' आदमी से भेंट हुई और वह थे राजकुमार शुक्ल। लखनऊ कांग्रेस, जहां पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आ रहे थे, वहीं राजकुमार शुक्ल चंपारन की व्यथा लेकर आए थे, किसी 'बड़े नेता' को आमंत्रित करने के लिए। किसी ने सुझाव दे दिया कि गांधी जी से मिल लो। गांधी जी से मुलाकात हुई, लेकिन गांधी जी अनमने ढंग से मिले और टाल गए। राजकुमार शुक्ल किसी भी कीमत पर गांधी जी को छोड़ना नही चाहते थे। वे कानपुर में गांधीजी से फिर मिले। गांधी जी ने 7 मार्च का हवाला दिया कि उसी दिन हम कलकत्ता में रहेंगे, वहीं बात होगी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसका विस्तृत वर्णन किया है। राजकुमार शुक्ल दो दिन पहले से ही कलकत्ता में जम गए और गांधी जी को चंपारन जाना ही पड़ा। गांधी जी को मोतिहारी जाना था, इसके पहले ही मुजफ्फरपुर में मिले जे बी कृपलानी, और राजकुमार शुक्ल आ गए मोतिहारी, गांधी जी के लिए प्रबंध करने। गांधी के मोतिहारी पहुंचने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। इसका विस्तृत ब्योरा रिचर्ड एटनबरो ने अपनी महान फ़िल्म 'गांधी' में दिया है। युवजन को यह फिल्म देखनी चाहिए।

'विदेशी' शासन का कहना था कि गांधी चंपारन से बाहर चले जायें। गांधी जी ने इनकार कर दिया और सीधे लफ्जों में कहा कि अगर अपने ही देश में, अपने ही लोंगो के बीच खड़ा होना कानून की नजर में जुर्म है, तो हमने यह जुर्म किया है। याद रखियेगा, सुराज की लड़ाई का यह टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इसके पहले भी अदालत में नेता लोग पेश होते रहे लेकिन वे अपना बचाव करते थे, यहां तो अदालत में एक अजीब इन्सान खड़ा है, जो अंग्रेजी कानून को ही चुनौती दे रहा है।

अदालत 'विदेशी' थी। गांधी जी ने जिसे अपना अधिकार बताया, उसे वह अदालत कैसे जुर्म मान लेती? लेकिन उसे भी अपना चेहरा बचाना था। नया फैसाला सुनाया - 100 रुपये के मुचलके पर छूट सकते हो। गांधी ने साफ मना कर दिया - हम यह भी नही देंगे। अदालत ने गौर से गांधी जी को देखा, पेशानी को रुमाल से पोंछा और फैसला लिख दिया—बरी किये जाते हो। अदालत के कठघरे से निकलकर बरामदे तक की कुल दूरी दस कदम की होगी। दस कदम की इस यात्रा ने मोहनदास के गांधी को महात्मा बना दिया। महात्मा गांधी की जय का नारा चंपारन से उठा और समूचे ग्लोब पर गूंज गया। याद रखियेगा, वह विदेशी अदालत थी।

आज का स्क्रिप्ट आज की अदालत का है। प्रशांत भूषण कटघरे में हैं। मान रहे हैं कि हम अपने बयान से नही बदलेंगे। अदालत ने एक साथ दो फैसला सुना दिया- एक रुपया दंड भरो या तीन महीने की सजा और तीन साल तक कोर्ट की प्रैक्टिस से बाहर। अगला फैसला 'मुजरिम' को करना है। दो डगर है - एक सावरकर की ओर जाती है, एक 'महात्मा' की तरफ़।

प्रशांत भूषण जी! अदालत की अवमामना के सवाल पर आपको जो सजा मिली, उसके दो हिस्से हैं। आपने बड़े अदब के साथ फैसले के पहले ही हिस्से को मान लिया, जाहिर है आपने दूसरे पर सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। इतिहास में एक नजीर और जुड़ी।

शुक्र है, खुदा न खास्ता उस दिन आपके वकील के पास एक रुपये का सिक्का मौजूद था। ❑

मजलूमों के लिए मुश्किल होता इंसाफ

❑ मीना कोटवाल

हाल ही में एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिससे पता चल रहा है कि किस तरह से प्रशासन और सरकार मिलकर उन लोगों को जेल में डाल देती है, जो दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं या सरकार और प्रशासन की पोल खोलते हैं. महाराष्ट्र के रहने वाले एक्टिविस्ट और पत्रकार प्रशांत कनौजिया इस समय जेल में हैं. प्रशांत दलित समुदाय से आते हैं. बहुजन समाज में उनकी एक छवि बनी हुई है कि वे उनके लिए आवाज बुलंद करने का काम करते हैं. लेकिन कुछ समय से उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

प्रशांत को दूसरी बार जेल भेजा गया है. उन पर आरोप है कि वे अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर फेक न्यूज़ फैलाते हैं और सरकार पर भद्दी टिप्पणी करते हैं. इससे पहले प्रशांत को जून 2019 में भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था. उस समय उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत को रिहा करते हुए कहा था कि किसी नागरिक की आज़ादी के साथ समझौता नहीं हो सकता. ये उसे संविधान से मिली है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता. इस बार अगस्त में प्रशांत को जब फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो कई 'सवर्ण लिबरल प्रोग्रेसिव लोगों' ने अपनी खुशी ज़ाहिर की. जिस पोस्ट पर बवाल किया गया था, वह एक हिंदू संगठन के नेता सुशील तिवारी का पोस्टर था, जिसे कथित रूप से प्रशांत ने तोड़-मरोड़कर ट्वीट किया था.

उस पोस्टर को केवल प्रशांत ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने शेयर किया था, लेकिन गिरफ्तारी केवल प्रशांत की हुई. एफआईआर भी खुद सुशील तिवारी ने नहीं, बल्कि लखनऊ के हज़रतगंज थाने के एसआई दिनेश शुक्ला ने लिखवाई थी, जिसमें लिखा गया था कि सुशील तिवारी की मानहानि हुई है. सवाल यहां ये उठता है कि अगर सुशील तिवारी की मानहानि हुई है, तो उन्होंने खुद एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई! खुद सुशील तिवारी सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के खिलाफ अक्सर भड़काऊ पोस्ट करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है. ऐसे कई संगठन और लोग हैं, जो मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. ऐसे में यह क्यों न कहा जाए कि ऐसे लोगों को सरकार का समर्थन प्राप्त है!

खैर, यहां बहस का मुद्दा ये नहीं है कि एफआईआर किसने की और किसने नहीं की. बल्कि यहां हमें ये समझने की जरूरत है कि एक दलित-मुस्लिम-आदिवासी की गिरफ्तारी पर हमारे समाज के तथाकथित 'ब्राह्मणवादी प्रोग्रेसिव-लिबरल प्रोग्रेसिव' लोगों को कितनी खुशी होती है! प्रशांत की गिरफ्तारी पर कई लोग तो ये भी कहने लगे कि कहीं रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी न पलट जाए और प्रशांत का एनकाउंटर न हो जाए. किसी ने कहा, प्रशांत ने जो किया उसके लिए उसे सही सजा मिली है आदि. क्या ये सब हर उस आरोपी या उस व्यक्ति के साथ होता है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं? देश को तोड़ने की या संविधान के खिलाफ़ बात करते हैं? जो लोग गोडसे को पूजते हैं और गांधी को गाली देते हैं, दलित-मुस्लिम का अपमान करते हैं, महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं, धर्म के नाम पर दंगे तक करवा देते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता।

एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट में जेल में बंद कैदियों से जुड़े आंकड़े दिए गए हैं. ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि देश के दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों की क्या हालत है. इसमें बताया गया है कि दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों की जेल में संख्या, देश में उनकी आबादी के अनुपात से अलग है. यानी जितनी उनकी जनसंख्या है, उसके अनुपात के हिसाब से जेल में उनकी संख्या ज्यादा है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सवर्णों के मामलों के साथ ऐसा नहीं है.

वर्ष 2019 के आंकड़े यह भी बताते हैं कि हाशिए पर पड़े समूहों में मुसलमान एक ऐसा समुदाय है, जिनके दोषियों से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं. रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 के आखिर तक देश भर की जेलों में 21.7 फीसदी दलित बंद थे. जेलों में विचाराधीन कैदियों में 21 फीसदी लोग अनुसूचित जातियों से थे. जबकि जनगणना में उनकी कुल आबादी 16.6 फीसदी है. आदिवासियों के मामले में भी यह अंतर बड़ा था.

ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार उन लोगों पर हमले कर रही है, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर उनकी जाति और धर्म दलित, आदिवासी, मुस्लिम है, तो उनके लिए सजा का प्रावधान और सख्त कर दिया जाता है और जबरन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है. ऐसा करने पर जहां सरकार का विरोध होना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसका जश्न मनाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनका मनुवाद जाग जाता है या फिर वे समाज के भय की वजह से ऐसा करते हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हेनी बाबू को 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. ये मामला एक जनवरी 2018 को हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कोरेगांव युद्ध के 200वें वर्षगांठ समारोह के बाद हिंसा में एक व्यक्ति मारा गया था और कई लोग घायल हुए थे. इस केस में 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और सभी पर एल्गार परिषद नाम के आयोजन में शामिल होने का आरोप है, जिसे दलित और आंबेडकर समर्थकों ने आयोजित किया था. कहा गया है कि जांच में पाया गया कि इस आयोजन में भाषणों के जरिये हिंसा भड़काई गई थी.

इसी तरह डॉ. कफील पर भी आरोप

लगे. 2017 में जब बीआरडी अस्पताल में 70 बच्चों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से हुई तो डॉक्टर कफील ने कुछ बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की. तब भी उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके भाषण को आधार बनाकर उनपर रासुका लगायी गयी और जेल भेज गया। बीते एक सितंबर को देर रात छूटने के बाद डॉ. कफील अगले दिन जनता से सोशल मीडिया के जरिये जुड़े. उन्होंने फेसबुक लाइव में कई ऐसी बातों का जिक्र किया, जिन्हें सुनकर एक आम इंसान की रूह कांप जाए.

एनसीआरबी की मानें, तो इस तरह के मामले ज्यादातर उत्तर प्रदेश में मिले हैं. शायद यही वजह रही कि डॉ. कफील ने राजस्थान सरकार से प्रार्थना की थी कि मुझे वहां बुलाया जाए, मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं रहना है, मुझे यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं है.

ये मामले केवल प्रशांत, कफील और हेनी बाबू तक ही सीमित नहीं है, जो कोई भी अपने हक की आवाज उठा रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है. हां, ये जरूर सच है कि जेल भेजे जाने वालों में सबसे ज्यादा दलित-मुस्लिम-आदिवासी हैं. **- द वायर**

प्रश्नकाल के स्थगन से उठते सवाल

कोरोना की वजह से संसद का मॉनसून सत्र इस बार देर से शुरू हो रहा है. इस बार संसद सत्र को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं. मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पहले दिन को छोड़ कर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी. पहले दिन दोनों ही सदन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे. इसके अलावा सांसदों के बैठने की जगह में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.

इस बार का सत्र शनिवार और रविवार को भी चलेगा, ताकि संसद का सत्र जितने घंटे चलना ज़रूरी है, उस समयावधि को पूरा किया जा सके. इस सत्र में प्राइवेट मेम्बर बिजनेस की इजाज़त नहीं दी गई है। शून्यकाल भी नहीं होगा, सांसद जनता से जुड़े ज़रूरी मुद्दे भी उठा सकेंगे, लेकिन उसकी अवधि घटा कर 30 मिनट कर दी गई है. इसके साथ ही इस बार के सत्र में संसद की एक अहम कार्यवाही प्रश्नकाल नदारद रहेगा.

प्रश्नकाल क्या होता है?

लोकसभा की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है. इसे प्रश्नकाल कहते हैं. प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं. प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है. प्रत्येक मंत्री, जिनकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है, वह खड़े होकर अपने प्रशासनिक कामों के बारे में उत्तर देते हैं.

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं- तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न.

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न वह होता है, जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है.

अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न वह होता है, जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है.

अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं. अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और वे जिस दिन के लिए होते हैं, उस दिन सदन की बैठक के आधिकारिक प्रतिवेदन में मुद्रित किए जाते हैं.

अल्प सूचना प्रश्न

तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है. लेकिन अल्प सूचना प्रश्न इससे कम समय की सूचना पर भी पूछा जा सकता है. इस संबंध में लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम 54 में व्यवस्था की गई है कि लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न 10 दिन से कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न को लेकर देरी नहीं की जा सकती, तो वह निर्देश दे सकता है कि मंत्री बताएं कि वह उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं और यदि हैं तो किस तिथि को. यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा बताये गए दिन को दिया जाएगा और वह मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दिए गए प्रश्नों को निबटाए जाने के तुरंत बाद पुकारा जाएगा. यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की राय हो कि प्रश्न पर्याप्त लोक-महत्व का है तथा सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए तो वह निर्देश दे सकेगा कि प्रश्न दस दिन की सूचना की अवधि पूरी होने पर प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए.

प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई?

भारत ने यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की है, जहाँ सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी. भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई. आज़ादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे. लेकिन आज़ादी के बाद उन प्रतिबंधों का खत्म कर दिया गया. अब संसद सदस्य लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ सकते हैं, जो मंत्री के विशेष संज्ञान में हो. **-बीबीसी**

साक्षात्कार

लोगों के अधिकारों का दमन कर रही योगी सरकार : डॉ. कफ़ील खान

डॉक्टर कफील खान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीएए-एनआरसी के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में शामिल होने की वजह से डॉक्टर खान को उत्तर प्रदेश टास्क फोर्स ने मुंबई से फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया। यूपी की मथुरा जेल में छह महीने बिताने के बाद एक सितंबर 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने डॉक्टर कफ़ील खान को रिहा किया। योगी सरकार की खिंचाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डॉ. कफील खान के भाषण में हिंसा भड़काने जैसा कुछ नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद डॉ कफील खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रासुका थोक के भाव लगाया जा रहा है। बिना मामले की गंभीरता को जांचे परखे हुए किसी पर भी एनएसए लगा दिया जाता है। मेरा मानना है कि इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए। पेश है डॉ. कफील खान के साथ साक्षात्कार का एक अंश।

–सं.

डॉक्टर खान, पहला सवाल ऐसा है, जिसे कई दशकों से पूछा जा रहा है। उबाऊ भी है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आपकी रिहाई हुई। आपकी प्रतिक्रिया क्या है?

सबसे पहले तो मैं भारत की न्याय व्यवस्था को, देशवासियों को, दोस्तों को और उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत में जेल से रिहा हो सका। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने मेरे केस को बहुत आलोचनात्मक निगाह से देखा-परखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मेरे भाषण में ऐसा कुछ नहीं था, जिससे हिंसा फैलती, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि एनएसए जैसे कड़े कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट के आदेश के बाद यह साबित हो गया है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों में रत्ती भर भी दम नहीं था। मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि सीएएस-एनआरसी के खिलाफ़ लड़ाई एक तरह से वजूद की लड़ाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वजूद साबित करने के लिए मैंने हिंसा की पैरोकारी की।

आप कितने दिन जेल में रहे? जेल में आपने क्या अनुभव किया ?

(हंसते हुए) ऐसा लगता है कि जेल से तो मेरा दिल का रिश्ता कायम होता जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार को आए हुए करीब साढ़े तीन साल हो चुके हैं। इस कार्यकाल को ये लोग रामराज्य के रूप में प्रचारित करते हैं। आप कह सकते हैं कि यूपी में रामराज्य के इस पूरे दौर में करीब दो साल जेल में बिता चुका हूं।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा-

''कफील खान का भाषण सरकार की नीतियों का विरोध था. उनका बयान नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने वाला था. 13 फरवरी, 2020 को अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश, जो यूपी सरकार ने भी कंफर्म किया था, रद्द किया जाता है. डॉक्टर कफील को जेल में रखना गैर-कानूनी करार दिया जाता है. उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.''

जहां तक जेल में बिताए गए दिनों का सवाल है, तो इस बारे में मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। कोरोना महामारी के दौरान लोगों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन जेल में भयानक भीड़ है। मैं जिस बैरक में था, वहां 150 लोग थे। 150 लोगों के बीच में एक ही ट्वायलेट था। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। खाने की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि बयान नहीं किया जा सकता।

जेल के अंदर टीवी पर न्यूज़ देखा करता था। मैं यह देखकर हैरान होता था कि पूरे दिन सुशांत मर्डर केस चल रहा है। मैं सोचता था कि बाहर कोरोना महामारी समाप्त हो गई क्या? न अर्थव्यवस्था पर कोई बात, न चीन की घुसपैठ पर कोई बात। न बेरोज़गारी पर कोई चर्चा। जेल के अंदर लगता था कि बस एक ही मसला देश के सामने है और वह है सुशांत की मर्डर मिस्ट्री।

अब जबकि आप जेल से रिहा हो चुके हैं, तो आगे के लिए क्या कुछ तय किया है?

अभी तो फिलहाल मैं कुछ वक्त अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। बहुत महीनों से अपने बेटे को नहीं देखा है। वह अब 11 महीने का हो चुका है। जब जेल गया था तो चल नहीं पाता था वह। अब शायद चलने लगा होगा। थोड़ा वक्त अपने बेटी और परिवार को देना चाहता हूं। इसके बाद मैं निकलूंगा। असम और बिहार की तरफ जाऊंगा, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस वक्त चिकनगुनिया, हैजा और दूसरी तमाम बीमारियां फैलती हैं। लोगों को दवा और मदद की ज़रूरत है। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की मदद कर सकूं। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराऊंगा। कोरोना प्रभावित इलाकों में भी काम करना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके ही जिले के हैं। कहा जाता है कि वे आपसे व्यक्तिगत रूप से नाराज़ हैं।

मुख्यमंत्री जी से मैं यही अपील करूंगा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मेरी नियुक्ति फिर से करा दें, ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। डॉक्टरी मेरा पेशा और पैशन दोनो है। ❑

जीडीपी, बेरोज़गारी, महामारी

जनता की चुप्पी और मीडिया का चारणकाल

❑ जितेन्द्र कुमार

अप्रैल से जून के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कमोवेश 24 फीसदी कम हो गयी है. आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच की जीडीपी में भी गिरावट ही आएगी. प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों के चेहरे पर इसके बावजूद कोई शिकन नहीं दिख रही है. उधर चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी एक इंच ज़मीन भी किसी के कब्जे में नहीं गयी है. बाद में रक्षा मंत्रालय बताता है कि हां, चीन हमारी सीमा में घुस आया है, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं. आज भी चीन के साथ छिटपुट झड़पें लगातार हो रही हैं. चीन को पीछे हटाने के लिए तरह-तरह के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि चीन के साथ सब कुछ ठीक है.

इसी तरह आजकल हर दिन कोरोना से संक्रमित लगभग एक लाख मरीज़ भारत में पाये जा रहे हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 70 हजार से आगे चली गयी है लेकिन सरकार की भूमिका पर कोई सवाल नहीं है. सरकार में फिर से आने के बाद प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन डॉलर का नारा दिया था और कहा था कि भारत 'विश्वगुरु बनने की तैयारी' कर रहा है, लेकिन जनता के मन में इसको लेकर भी कोई सवाल नहीं है.

सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ या हो रहा है? क्या कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह बैठ गयी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गयी है, कृषि को छोड़कर हर क्षेत्र लगातार नीचे जा रहा है, पेट्रोल दुनिया में सबसे महंगा भारत में बिक रहा है, लेकिन जनता में किसी बात को लेकर कहीं असंतोष नहीं दिखायी पड़ रहा है?

मनमोहन सिंह के दस साल के कार्यकाल के पहले दौर में बेरोजगारी और महंगाई का हाल तो बुरा था ही, लेकिन जीडीपी लगातार ऊपर जा रही थी. हां, कभी-कभार ऐसा होता था कि जीडीपी उस रूप में तेजी नहीं दिखाती थी, जिस रूप में दिखाना चाहिए, फिर भी इसका असर यह जरूर होता था कि 24 घंटे के खबरिया चैनल (जो तब तक इंटरटेनमेंट चैनल नहीं बने थे) कई दिनों तक उसे इस रूप में पेश करते थे, जैसे कि जीडीपी ही विकास का एकमात्र पैमाना हो.

धीरे-धीरे वक्त बदलता गया और अन्ना आंदोलन के समय सरकार के समानांतर मीडिया खड़ा हो गया. अगर 2012-14 के टीवी चैनलों का हाल देखें तो हर दिन मनमोहन सिंह की सरकार टीवी चैनलों के स्टूडियो में रहम की भीख मांग रही होती थी, जिसमें सभी के सभी भाजपानीत विशेषज्ञ बैठा दिये जाते थे, जो सरकार के हर निर्णय को स्टूडियो में खारिज कर दिया करते थे. इसका परिणाम यह हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने गयी तो उसकी विश्वसनीयता लगभग शून्य हो चुकी थी. बीजेपी ने सत्तापक्ष को न सिर्फ टीवी स्टूडियो में हरा दिया था, बल्कि सरकारी दलों का मनोबल भी ऐसा तोड़ दिया था कि कई मंत्रियों ने चुनाव लड़ना भी मुनासिब नहीं समझा.

बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीवी चैनल और अखबार मोदीजी से इतने अभिभूत थे कि वे सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्षी दलों से सवाल पूछने लगे. इसका परिणाम यह हुआ कि विपक्षी दलों की रही-सही साख़ भी खत्म होने लगी. चूंकि सरकार के ऊपर सवाल उठाये ही नहीं जा रहे थे, इसलिए उसकी साख़ लगातार बरकरार रही. इसका परिणाम यह हुआ कि जब बीजेपी फिर से 2019 में चुनाव लड़ने गयी तो उसके सामने उस विपक्ष के उठाये कुछ सवाल थे, जिसकी विश्वसनीयता नहीं के बराबर कर दी गयी थी. चूंकि विपक्षी दलों की विश्वसनीयता थी नहीं और सरकार के ऊपर प्रश्नचिह्न भी नहीं था, परिणामस्वरूप जनता की तरफ से अगर कोई सवाल था भी तो उसकी दिशा तय नहीं थी. इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 20 सीटों का लाभ हुआ और यह संख्या 303 तक पहुंच गयी.

सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ? हिन्दी प्रदेशों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा) की लोकसभा की सभी सीटों को मिला दिया जाय तो कुल 221 सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल 200 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 4, सपा के पास 6, बसपा के पास 10 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 सीट है. इन्हीं प्रदेशों में कई ताकतवर क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन इनमें से किसी भी राजनीतिक दल के पास अपना मुखपत्र तक नहीं है, जिससे कि वे अपने समर्थकों के साथ संवाद स्थापित कर सकें.

वे अपने समर्थकों से संवाद स्थापित करने के लिए भी मुख्यधारा के कॉरपोरेट मीडिया पर पूरी तरह निर्भर हैं, जो पूरी तरह केन्द्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है. केन्द्र सरकार के दबाव में काम करने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि कोई भी मीडिया घराना सिर्फ मीडिया के धंधे में नहीं है, बल्कि उन घरानों के और भी कई बिजनेस हैं. उन्हें अपने अन्य बिजनेस को सुरक्षित भी रखना पड़ता है.

अगर इस सवाल को दूसरे रूप में देखें, तो हम पाते हैं कि जहां कहीं भी किसी राजनीतिक दल ने अपनी निर्भरता कॉरपोरेट मीडिया से हटाकर अपने मीडिया संस्थानों पर कर ली है, उसकी हालत वहां इतनी खराब नहीं है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है. महाराष्ट्र में शरद पवार व शिवसेना ने अपना मीडिया हाउस खड़ा किया है. शरद पवार 'सकाल' और शिवसेना 'सामना' के द्वारा न सिर्फ अपने समर्थकों से संवाद स्थापित करते हैं, बल्कि अपनी बात कहने के लिए मुख्यधारा के मीडिया पर बिल्कुल निर्भर नहीं हैं. उसी तरह जगन मोहन रेड्डी व चन्द्रशेखर राव को भी अपनी बात कहने के लिए किसी दूसरे मीडिया की जरूरत नहीं है.

यही हाल डीएमके और एआईडीएमके का है. इन दोनों राजनीतिक दलों के पास अपने चैनल व अखबार हैं, जहां से वे अपने समर्थकों को संबोधित कर लेते हैं. चूंकि वे और उनके

समर्थक कॉरपोरेट मीडिया पर आश्रित नहीं हैं, इसलिए मोदी की छवि इतनी आदमकद नहीं हो सकी है, जितना कि हिन्दी प्रदेशों में बना दी गयी है.

इस पूरे प्रकरण में मुझे वह घटना याद है, जब 2014 में नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे. उनके प्रधानमंत्री बनने के छह महीने के भीतर ही झारखंड में चुनाव था, जहां के मुख्यमंत्री उस समय भी हेमन्त सोरेन थे. जिस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखंड में किसी सभा को संबोधित करने आते थे, उस दिन सभी अखबारों के पहले पेज पर सिर्फ बीजेपी का विज्ञापन होता था. इतना ही नहीं, चुनाव के दिन भी हर अखबार में सिर्फ बीजेपी का विज्ञापन होता था. मुख्यमंत्री सोरेन चाहते थे कि उनकी पार्टी जेएमएम का भी पहले पेज पर विज्ञापन आये, जिसके लिए वह पैसा भी खर्च करने को तैयार थे, लेकिन ऐसा वह चाहकर भी नहीं कर पाये, क्योंकि बीजेपी ने सभी अखबारों का पहला पेज पहले ही खरीद लिया था।

उस चुनाव में हेमन्त सोरेन ने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी से चुनाव हार गयी थी. हेमन्त सोरेन ने वादा किया था कि वह अपना मीडिया हाउस खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. सुखद संजोग है कि वह फिर से मुख्यमंत्री बन गये हैं लेकिन अगर उनके पास कोई मीडिया हाउस होता तो हो सकता है कि उनके कुछ और सांसद लोकसभा में होते।

इसलिए जब तक टेलीविजन चैनलों व अखबारों में सरकार के खिलाफ खबर न आये- भले ही वे वैकल्पिक चैनल व अखबार हों- तब तक मोदीजी की छवि आदम से महाआदम की बनती जाएगी और उसे चुनौती देना इतना ही मुश्किल होता जाएगा. अंततः इस बेरोजगारी और गरीबी के दौर में कामगारों के पास सूचना का एकमात्र साधन सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल या हिन्दी अखबार ही हैं, जिन्होंने अपने आर्थिक हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार की इच्छा पर विपक्षी दलों के नेताओं को खलनायक बना दिया है. जब तक इस मोर्चे पर काम नहीं होगा, मोदीजी की छवि 'लार्जर दैन लाइफ' बनी रहेगी और विपक्षी दल लगातार कमजोर होते जाएंगे।

- जनपथ

राष्ट्रीय तालाबंदी की निरर्थक कवायद

❑ गिरीश मालवीय

आज से कुछ दशकों बाद जब मोदी सरकार के कार्यकाल को याद किया जाएगा, तो बिना सोचे समझे किये गए लॉकडाउन को भारत की आर्थिक बर्बादी के सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में याद किया जाएगा। नोटबन्दी भी इसके सामने कुछ नही थी। हर तरफ आज निराशा का माहौल है।

एक ऐसी बीमारी के लिए, जिसकी मृत्यु दर मात्र 1 प्रतिशत के आसपास है, हमने दो महीने से अधिक समय के लिए सब कुछ रोक दिया, यह आर्थिक तबाही को न्योता देना था। ब्रिटेन के जाने माने महामारी विशेषज्ञ और जनस्वास्थ्य के प्रोफेसर रहे जॉन पी.ए. ने मार्च के मध्य में अपने एक लेख में कोरोना और लॉकडाउन के बारे मे बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी बीमारी, जिसकी मृत्यु दर मौसमी इन्लूएंजा से भी कम है, उसके कारण जबरदस्त सामाजिक और वित्तीय नुकसान की आशंका के साथ दुनिया को बंद करना पूरी तरह से तर्कहीन व आधारहीन है। यह वैसा ही है, जैसा कि एक विशालकाय हाथी पर एक बिल्ली हमला कर दे और वह हाथी बिल्ली से लड़ने के बजाय रक्षात्मक मुद्रा में हमले से बचने की कोशिश करे और इस हताशा में वह गलती से एक खाई में गिरकर मर जाए।

अपने इस लेख में महामारी विज्ञानी जॉन पी. ए. ने वैज्ञानिक प्रमाण देकर तार्किक रूप से यह सिद्ध किया है कि कोविड-19 को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और बिल्ली को शेर बताया जा रहा है। आप कहेंगे कि दूसरे 7-8 देशों ने भी लॉकडाउन किया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे! पहली बात तो यह है कि उन देशों की भारत से तुलना नहीं हो सकती। भारत एक गरीब मुल्क है, जहां औसत आय चीन की औसत आय के पांचवें हिस्से और यूरोप या अमेरिका की औसत आय के 20वें हिस्से के बराबर है। देश के 20 फीसदी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। जबकि 20 से 30 प्रतिशत लोगों की हालत उनसे कुछ ही बेहतर है।

इसका अर्थ यह है कि करीब आधी आबादी किसी तरह दिन काट रही है। यहाँ पर दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन लगा कर आपने स्वंय ही विनाश को न्योता दिया है। कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 देशों में से 7 ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लगाया था। इन 7 देशों में भारत ही ऐसा देश था, जहाँ नए कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जाता दिखा, जबकि बाकी 6 देशों में लॉकडाउन हटाने के बाद हर दिन सामने आने वाले नए मामलों की संख्या लगातार कम होती गयी है।

आज भी अगर ठीक से देखा जाए तो कोविड-19 के मामलों में मृतकों की संख्या करीब 1.6 फीसदी है. इसका मतलब यह है कि यह हमारे मौसमी इन्फ्लुएंजा से अधिक खतरनाक नहीं है. इसका तेजी से फैलाव ही इसे खतरनाक बनाता है। दरअसल यह हमें एक बड़ी समस्या इसलिए दिखता है, क्योंकि यह हमारी चरमराती स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर भारी पड़ गया। आज जो मौतें हो रही हैं, वह कोरोना से अधिक विभिन्न बीमारियों मसलन टीबी, डायरिया, श्वसन समस्या, दिल की बीमारियों, मधुमेह आदि का उचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण हो रही हैं। दीर्घकालिक लॉकडाउन से लोगों की आय समाप्त हो गई है और उन्हें पर्याप्त पोषण नही मिल पा रहा है, यह कोरोना से बड़ी समस्या है।

हमे जो लॉकडाउन में करना था, वह हमने नहीं किया। पीएम मोदी ने तीन बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, लेकिन वह टेस्टिंग की संख्या को अधिक गति नही दे पाए। जुलाई से टेस्टिंग बढ़ना शुरू हुई, तब तक अनलॉक-2 शुरू हो चुका था। यानी पूरी कवायद व्यर्थ साबित हुई। हमसे अच्छी तरह से तो पाकिस्तान ने कोरोना से डील किया, जिसने नेशन वाइड लॉकडाउन न करके स्मार्ट लॉकडाउन किया और आज वह हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है। ❑

हम देश को कौन सी कहानी सुनायें साथी!

❑ अंशु मालवीय

2019 के आम चुनावों के नतीजों ने हमें जो दिखाया है, उसकी तमाम वजहें विश्लेषकों और विद्वानों ने गिनाई हैं। इनमें ज्यादातर वजहें जायज़ हैं और उनका कुछ न कुछ असर नतीजों पर पड़ा है। लेकिन तीन ऐसी प्रमुख वजहें हैं, जो इन नतीजों को बहुत निर्णायक बनाती हैं। इन चुनावों ने भारतीय समाज में 'सभ्यता की लड़ाई' को ऐसे दौर में पहुँचा दिया, जहाँ 'भारत की उस संकल्पना' के समाप्त होने का ख़तरा पैदा हो गया है, जिसे पिछले तकरीबन 150 सालों की आज़ादी और समाज परिवर्तन की धाराओं ने बड़ी मेहनत और मेधा से तैयार किया था। क्या है ये तीन कारण-

1. भारतीय समाज का बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और कॉर्पोरेट समर्थित अंध राष्ट्रवाद की निर्णायक विजय।

2. पिछले 150 सालों में विकसित समाज परिवर्तन की धारा, विशेष रूप से जाति विरोधी चेतना की मानीखेज़ पराजय और ब्राह्मणवाद की विजय।

3. तीसरा और अंतिम कारण, जिसे हम कारणों का कारण कह सकते हैं, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कल्पित प्रोजेक्ट का अंतिम दौर में पहुँच जाना। तीसरा और अंतिम कारण हमारे इस नोट के सन्दर्भ में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि यही कारण ऐसा है जो सब्जेक्टिव है, यानी हालात में मानवीय हस्तक्षेप का नतीजा है।

'डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' में नेहरू यह सवाल पूछते हैं की भारत माता कौन है? इस सवाल के ज़रिये नेहरू भारतीय समाज जैसी किसी चीज़ की तलाश कर रहे थे। इस सभ्यता में श्रृंखला और टूटी हुई कड़ियों को तलाशते हुए नेहरू प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक समाज के जन्म की एक कहानी कहते हैं। यह कहानी हम सब की कहानी है। इसे सिर्फ नेहरू ने ही नहीं कहा, बल्कि हज़ारों साल में विभिन्न मूल्यों, संस्कृतियों और विचारों की टकराहट से होता हुआ जो कच्चा माल आधुनिक युग के दहन पात्र में चढ़ाया गया, यह उसकी कहानी है। इसे भारत की सभ्यता ने लिखा और संस्कृतियों ने सुनाया था।

जब आज़ादी, बराबरी और इन्साफ की विभिन्न धाराओं के मंथन से भारतीय राष्ट्र जन्म ले रहा था, उस समय सिर्फ़ अमृत ही नहीं, जहर भी सतह पर उतराने लगा था। जब हमारे नेता, मनीषी और आम जन मिल कर इस देश की चादर बुन रहे थे, तो कुछ और लोग भी थे, जो भारतीय समाज के सबसे दकियानूसी और हिंसक विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके पास भारतीय इतिहास और स्मृति की एक प्रतिकथा मौजूद थी। इनकी इस प्रतिकथा के तीन हज़ार साल का एक नैरेटिव तैयार किया गया। इस प्रतिकथा का नायक प्राचीनता के बोध से दबा एक आधुनिक हिन्दू राष्ट्र था।

यह हिन्दू पुरुष सवर्ण और मध्यवर्गीय था, जिसे समय-समय पर विदेशी आक्रांताओं, विधर्मियों और अपने ही समाज ने परेशान किया था। वह चिंतित था, उसे अपने धर्म और स्त्रियों की रक्षा 'दूसरों' से करनी थी। इस हिन्दू के नैरेटिव में सिर्फ़ विधर्मियों और विजातियों को ही नहीं, बल्कि एक समावेशी और साझा भारत की संकल्पना को भी अपना दुश्मन मान लिया गया। फिर इस दुश्मनी की एक कहानी तैयार की गयी। इस कहानी का भारत एकहरा, अकेला, शोषक और हिंसक था और उसे अपनी इस छवि पर गर्व था। इस कहानी के लेखक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उनके अनुषांगिक संगठन। उन्होंने भारत की आज़ादी के पूर्व ही अपनी कहानी बहुत मेहनत से लिखनी और सुनानी शुरू कर दी थी। यह उनकी खूबी थी कि उन्होंने अपनी कहानी को एक सभ्यता विमर्श में तब्दील कर दिया। फिर इस विमर्श को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्रमबद्ध रूप से संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों के कई नेटवर्क तैयार किये। साथ ही तैयार की कार्यकर्ताओं और समर्थकों की एक विराट फ़ौज। आधुनिक तरीकों के माध्यम से यह नेटवर्क देशव्यापी ही नहीं, बल्कि विश्वव्यापी हो गया। एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन की बुनियाद पर उन्होंने एक जन विरोधी राजनीति तैयार की। उनकी बनायी इन संस्थाओं ने लोगों को सिर्फ विचार ही नहीं दिए, बल्कि इन विचारों के प्रसार के लिए भौतिक ढाँचे भी प्रदान किये। उदहारण के लिए 'सरस्वती शिशु मंदिर' की श्रृंखला ही काफी है। चप्पे-चप्पे पर फैले इन विद्यालयों ने उनके कहानी कहने के लिए मंच ही नहीं दिए, बल्कि बाबरी मस्जिद ध्वंस आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए शिविर और पूड़ी के पैकेट तैयार करने के लिए कारखाने भी मुहैया कराये।

इसका प्रभाव यह हुआ कि एक वैकल्पिक इतिहास बोध का प्रसार हुआ। सबसे निर्णायक ये हुआ कि उत्पीड़ित भी उत्पीड़कों की भाषा बोलने लगे। यह इतिहासबोध मिथक को इतिहास और इतिहास को मिथक की तरह पेश करता है। इस इतिहासबोध के प्रभाव में भारतीय समाज का भीतरी तौर पर साम्प्रदायीकरण और फासिस्टीकरण हुआ। किसी भी राज्य में हर दौर में कम या ज्यादा मात्रा में फासिस्ट होने की आशंका हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक होता है, किसी समाज का लगातार फासिस्ट होते जाना। भारतीय समाज में विशेष रूप से अल्पसंख्यक, दलित, महिला, आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के ऊपर बढ़ते हमले तथा सामान्य रूप से पूरे समाज में बढ़ती हिंसा इस फासिस्टीकरण की वजह से मुमकिन हुए हैं। समाज में बढ़ती बहुआयामी हिंसा उसी कहानी का नतीजा है, जो हमें संगठनों-संस्थानों के एक विशाल नेटवर्क ने सुनाई है। क्या यह इतिहास का व्यंग्य नहीं है कि आज के भारत के

इतिहास बोध का निर्माण इस तरह हो रहा है?

हमारे पास भी एक कहानी है और यह असली कहानी है। हमारी कथा भारत के हज़ारों साल की कथा है। सिंधु से वेद तक, बुद्ध से गाँधी तक, कालिदास से कल्हण तक, मौलाना आज़ाद से इराबोट सिंह तक, अकबर से नेहरू तक, कबीर से अम्बेडकर तक, रज़िया से सावित्रीबाई तक, खुसरो से रवीन्द्रनाथ तक, गार्गी से लावाई तक, चार्वाक से भगत सिंह तक, बसवेश्वर से नामदेव तक... गाँव-दर-गाँव, शहर-दर-शहर, जाने-अनजाने, नायक-नायिकाओं, कारनामों, रचनात्मकता और पराक्रम की हमारे पास असली कहानियां हैं। पर ये कहानियां हम अपने देश को सुना नहीं सके।

इतने सारे रंग-बिरंगे सहयोगी और अंतर्विरोधी रेशों को एक कथा में पिरोने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी होता है- कथाकार का समावेशी होना। हम देश से समावेशी होने की उम्मीद करते रहे लेकिन हमने समावेशन से ज्यादा बहिष्करण पर ध्यान लगाया। हमारी कोई साझा भारतीय कथा तैयार ही नहीं हुई। हम सभ्यता के फलक पर सोच ही नहीं पाए। हमने मतभेदों, विचारधाराओं, उप-विचारधाराओं, विमर्शों, उप-विमर्शों के खाने में खुद को इतना विभाजित कर लिया कि वह कहानी हम कहने में ही अक्षम हो गए, जिसे देश सुनना चाहता था और जिस कथा की हम सन्तान थे। हमारी कथा एकसूत्र न होकर खंडित ही रही।

यह उस भारत की कथा है, जिसे हज़ारों साल में गढ़ा गया है। यह भारत की उस संकल्पना की कथा है, जिसे भारत की आज़ादी की लड़ाई और समाज परिवर्तन की विभिन्न धाराओं ने मिलकर रचा था। इस कथा की गूँज हमारे संविधान में सुनाई देती है। इस आइडिया ऑफ इंडिया ने सुनिश्चित किया था कि धार्मिक, जातीय, लैंगिक, भाषाई और नस्लीय आधारों पर हमारे समाज में भेदभाव नहीं होगा और सबको अवसर की समानता उपलब्ध होगी। आज़ादी के बाद का हमारा इतिहास दो तरह की कथाओं के संघर्ष की दास्तान है। उनका भारत, जो संकीर्ण और इकहरा है और हमारा भारत, जो प्रगतिशील और रंग-बिरंगा है।

हमने अपनी कहानी सुनाने में आलस किया। हमें यह महसूस हुआ कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हमारी यह भारत कथा स्वयं सिद्ध है। यह संविधान और लोकतान्त्रिक ढाँचों की बदौलत ख़ुद ब ख़ुद प्रसारित होती रहेगी। लेकिन 'उनके' साथ न संविधान था, न लोकतान्त्रिक ढाँचें। उनके पास उनके संकीर्ण भारत की कथा थी और समर्पित कथावाचकों की फौज़। उन्होंने बखूबी अपनी प्रतिकथा लोगों के दिमाग में बैठा दी और एक छद्म इतिहासबोध का निर्माण किया। हमें फिर से याद करना होगा कि हमारे पास भी एक कथा है। एक बहुलतावादी-बहुसांस्कृतिक भारत की कथा, एक आज़ादी और बराबरी पसंद भारत की कथा।

हम अपनी कहानी कैसे सुनाएँ

सभ्यता की कहानियाँ संस्कृति ही सुना सकती है। राजनीतिक संघर्षो में तात्कालिकता का दबाव होता है, लेकिन संस्कृति की कहानी दूरगामी होती है। उसके पैमाने हज़ारों साल के होते हैं। हमारी भारत कथा ऐसी ही होगी, हज़ारों साल के पैमाने पर फैली इंसाफ पसंद व बहुलतावादी भारत की कथा, इतिहास और संस्कृति की समावेशी कथा, जिसमें अंतर्विरोधों को न्यूनतम साझा के पैमाने से हल किया जा सके, जिसमें राष्ट्र से आगे जाकर हम एक भारत की सभ्यता की कहानी सुना सकें और उसके भविष्य का चित्र बना सकें। हमें हमारी भारत कथा और अपने कथावाचकों की फौज तैयार करनी होगी। हमें एक नए सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन की रूप रेखा बनानी होगी।

परिवर्तन का ज्यादातर नैरेटिव राजनीतिक परिभाषाओं में क़ैद होकर रह गया है। राजनीतिक हलकों में सामाजिक समस्याओं के भी राजनीतिक हल खोजे जाते हैं और संस्कृति की स्थिति दोयम दर्ज़े की होती है। आमतौर पर संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में समझा जाता है। इसलिए सांस्कृतिक कर्म राजनीति के आगे चलने वाली मशाल न होकर उसका पिछलग्गू बन जाता है। राजनीति का विमर्श तात्कालिक रूप से सटीक होने की शर्त की वजह से विभाजनकारी है, लेकिन संस्कृति में विमर्श के पांच कम से कम ऐसे दायरे बनते हैं, जिसमें विचारधारा, गुट, दल आदि के सीमित दायरों से निकलकर व्यापक सहमति बनाई जा सकती है। ये पांच दायरे हैं, समानता, जाति विनाश, स्त्री-मुक्ति, सद्भावना और प्रकृति तथा आदिवासी। ये पंचशील ऐसे हैं, जिनके दायरे में व्यापक सहमति और सामंजस्य के साथ हमारी 'भारत कथा' सुनाई जा सकती है।

हमारा कथावाचन दो तरीकों से चलेगा। पहला कार्यक्रमों और आयोजनों की श्रृंखला, दूसरा हमारी अपनी संस्थाओं (ढाँचों) का निर्माण। सांस्कृतिक कहने का आशय सामाजिक-सांस्कृतिक, अंतर-सामुदायिक सहभोज, अंतर्जातीय-धार्मिक विवाहों में मदद-आयोजन, मेलों का आयोजन एवं भागीदारी, खेल क्लबों का निर्माण, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य-उत्सवों का आयोजन, धर्म-सुधार, सद्भावना एवं साझी विरासत पर कार्यशालाएं। इसमें नए नए फॉर्म्स तलाशे और इजाद किये जा सकते हैं। दूसरा है अपनी संस्थाएं और ढांचे तैयार करना, विद्यालय, शिशु गृह, सार्वजानिक उत्सव गृह, प्राकृतिक खेती के उद्यम, साझी रसोई आदि। यह सूची बहुत लम्बी हो सकती है।

अगर हम आज़ादी के आंदोलन के दौरान विकसित राजनीति को देखें तो पाएंगे कि उसका आधार एक सशक्त समाज सुधार आंदोलन रहा है, गाँधी तो अक्सर रचनात्मक कार्यक्रम को राजनीति से ज्यादा महत्व देते दीखते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद का समय इस बात का गवाह रहा है कि कैसे सेकुलर, समावेशी या प्रगतिशील राजनीति बग़ैर किसी सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन के विकसित हुई है। राजनीति के नीचे सांस्कृतिक आन्दोलन का कोई ठोस आधार ही नहीं रहा। ज़ाहिर है नुक्कड़ नाटक समूह, लेखक संगठन या लघु पत्रिका एक हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सांस्कृतिक समझना हमारी भूल है।

तो साथियों! हमारे पास भी एक भारत कथा है, उसे एक सूत्र में पिरोना और उसे देश को सुनाना, यही हमारा आज का काम है, जिसे बहुत पहले शुरू हो जाना था।

- सबरंग इंडिया

महामारी और मीडिया

❑ उर्मिलेश

अप्रैल-मई के बीच टेलीविजन चैनल हों या बड़े अखबार, सत्ताधारी दल के नेता और प्रवक्ता इस बात की लगातार डींगें हांकते थे कि सही वक्त पर लॉकडाउन के फैसले और मोदी सरकार की अन्य नीतियों के चलते भारत में कोविड-19 को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। सत्ताधारी नेताओं के इन जुमलों को चैनलों के एंकर्स भी उसी शिद्दत के साथ दुहराते थे कि जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कोविड-19 से बेहाल हैं, तब भारत अपने प्रधानमंत्री की 'दूरदर्शिता' के कारण काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन जून-जुलाई आते-आते पांसा पलट गया। भारत न सिर्फ महामारी के चलते बेहाल होने लगा, बल्कि सरकारी नीतियों के चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सांस बुरी तरह फूलने लगी। बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से उछला। हमारे भाषण-प्रिय प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण बेहद फीका रहा। बेहाली का आलम ये है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शून्य से 23.9 फीसद नीचे गिर चुका है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 47 लाख से ऊपर और मरने वालों की संख्या 79 हजार पहुंच रही है।

इस वक्त भारत में प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। बहुत संभव है कि इन पंक्तियों के छपने तक भारत संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में ब्राजील को पछाड़ कर विश्व में दूसरे नंबर पर आ जाये! प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की इस वक्त संख्या 90 हजार के ऊपर है, जबकि टेस्टिंग के मामले में हम काफी पीछे हैं। कई प्रदेशों में तो टेस्टिंग लगभग ठप्प है। यूरोप और अमेरिका की बात छोड़िये, हमसे भी ज्यादा आबादी वाले एशिया के ही एक पड़ोसी देश-चीन से अपनी स्थिति की तुलना करें तो अपने देश की भयावह स्थिति दिख रही है। बीते नौ-दस महीने में चीन के कुल संक्रमित लोगों की संख्या मात्र 85077 और मरने वालों की संख्या 4634 है। यानी चीन में जितने लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, उसके ही आसपास भारत में रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। यह कितना भयावह आंकड़ा है!

टेलीविजन की छोड़िये, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ज्यादातर अखबारों, खासकर भाषायी अखबारों में भी भारत की इस भयावह स्थिति का गंभीर कवरेज नहीं दिखेगा। उपरोक्त आंकड़ों का तुलनात्मक आकलन करते वक्त अब तो कोई नेता या एंकर ये भी नहीं कह सकता कि भारत की आबादी ज्यादा है, इसलिए हमारे यहां ज्यादा तबाही दिख रही है। अगर सिर्फ आबादी कारक होता तो चीन की आबादी तो हमसे भी ज्यादा है और वायरस का सबसे पहला हमला भी वहीं हुआ था। यूपी, बिहार सहित देश के कई प्रदेशों के हालात इतने बुरे हैं कि जितने लोगों की मौत कोरोना से हो रही है, उससे बहुत ज्यादा लोगों की मौत गैर-संक्रमण वाले आम रोगों से हो रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अस्पतालों के ओपीडी या तो बंद हैं या पहले की तरह नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं।

महामारी से हमारी सरकार ने किस तरह निपटना चाहा और मीडिया ने कैसे उसका बढ़-चढ़ कर साथ दिया, इसका ज्वलंत उदाहरण है- मार्च के आखीर सहित पूरे अप्रैल-मई में लंबे समय तक भारतीय मीडिया के कोरोना-कवरेज का सांप्रदायिक अंदाज! उस दरम्यान, कोविड-19 के संक्रमण और प्रसार आदि को लेकर हमारा मीडिया, खासकर न्यूज चैनल और ज्यादातर भाषायी अखबार देशवासियों को जो सबसे बड़ी जानकारी दे रहे थे, वह यह कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित एक अल्पसंख्यक धार्मिक संगठन तब्लीगी जमात के कारण यह महामारी भारत में दाखिल हुई है। कुछ चैनलों ने तो इस जानकारी में और भी इजाफा किया कि इस 'जमात' ने 'योजना के तहत' कुछ 'कोरोना जेहादियों' के जरिये भारत में कोरोना फैलाया। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी स्वयं हमारी सरकार दे रही थी। उसका स्वास्थ्य मंत्रालय 13 मार्च तक कह रहा था कि भारत में कोरोना को लेकर कोई 'मेडिकल इमरजेंसी' नहीं आने वाली है। जब कोरोना अपने देश में सचमुच 'मेडिकिल इमरजेंसी' बन गया तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वयं भी इसके लिए प्रमुखतया तब्लीगी जमात को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया।

शुरुआती दौर में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। पहले लॉकडाउन के ऐलान के कुछ ही समय बाद हमारे प्रधानमंत्री ने अफसरों और सलाहकारों की अति-उत्साही ब्रीफिंग से प्रभावित होकर अपने संसदीय क्षेत्र-वाराणसी की जनता से वर्चुअल संवाद में कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी और कोरोना पर विजय प्राप्त करने में हमें 21 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री ने 24 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया था। उसके ठीक एक दिन पहले तक भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 468 और मौतों की संख्या 9 रिकार्ड की गई थी। इनमें ज्यादातर ऐसे थे, जिनका तब्लीगी जमात से सीधा या दूर-दूर का भी कोई रिश्ता नहीं था।

ऐसे में यह सवाल गैरवाजिब नहीं होगा कि क्या उस वक्त 'जमात' के रूप में एक 'प्रिय दुश्मन' तलाशा गया था? 'प्रिय' इसलिए कि महामारी में शासकीय कमजोरियों को ढंकने में 'जमात' का आवरण मिल गया। उस वक्त शासन जामिया, जेएनयू और दिल्ली विवि के छात्रों के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित प्रदर्शनों तक को रोकने में व्यस्त था। उसके कुछ ही समय बाद सरकार ने भीमा कोरेगांव में हुए एक आयोजन के पीछे किसी कथित षड्यंत्र के नाम पर भारतीय संविधान के निर्माताओं में सबसे प्रमुख विद्वान डॉ बी आर अम्बेडकर के एक नातेदार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को तमाम संगीन मामलों में गिरफ्तार करा लिया। उनके साथ दिल्ली से एक वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को भी ऐसी ही धाराओं में

गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया। लेकिन भारत के न्यूज चैनलों के लिए यह बड़ी खबर नहीं थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या भारतीय न्यूज चैनलों ने सत्ता की योजना के तहत कोविड-19 जैसे वायरस के संक्रमण को लेकर 'फेक न्यूज' चलाई, ऐसी 'फेक न्यूज' जिसका मकसद समाज में एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना और शासन की विफलताओं पर पर्दा डालना था?

मीडिया ने जिस तरह के झूठ का प्रसार किया, वैसा उदाहरण महामारी से घिरी दुनिया के मीडिया में शायद ही कहीं मिलेगा। अब सच सबके सामने है कि तब्लीगी जमात के मरकज में जिस तरह लोग संक्रमित पाये गये, उसी तरह देश के कई अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी पाये जा चुके हैं। कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी दर्जनों लोग संक्रमित पाये जा चुके हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में कार्यरत उसके 743 कर्मियों को कोरोना संक्रमित पाया

सरकारी नीतियों के चलते राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सांस बुरी तरह फूलने लगी। बेरोजगारी का ग्राफ तेजी से उछला। हमारे भाषण-प्रिय प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण बेहद फीका रहा। बेहाली का आलम ये है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शून्य से 23.9 फीसद नीचे गिर चुका है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 47 लाख से ऊपर और मरने वालों की संख्या 79 हजार पहुंच रही है।

गया। 11 जून से अब तक वहां तीन कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। मंदिर एक बार खुला तो फिर बंद नहीं हुआ। कई और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों या प्रतिष्ठानों में भी संक्रमित लोग पाये गये। 5 अगस्त को अयोध्या में जब स्वयं प्रधानमंत्री के कर-कमलों से मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो अयोध्या के कुछ हलकों में कथित रामभक्तों का मेला-सा लगा हुआ था। सैकड़ों लोगों की भीड़ को नाचते-गाते दिखाया गया। ये सब रिकार्डेड तथ्य हैं। पर मीडिया, खासकर न्यूज चैनलों के जरिये किसी के बारे में वैसा दुष्प्रचार नहीं किया या कराया गया, जैसा तब्लीगी जमात के बारे में हुआ था। जमात के जिन लोगों को पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में तरह-तरह के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था, अब अदालतें उनको क्रमशः बाइज्जत रिहा करने का आदेश दे रही हैं, क्योंकि शासन ने जो भी आरोप मढ़े थे, वे सब आधारहीन पाये गये। इसके लिए न्यूज चैनलों द्वारा माहौल तैयार कराया गया था।

अब जबकि सबकुछ साफ हो चुका है, इन चैनलों ने अपने घृणित दुष्प्रचार और फेक न्यूज के लिए आज तक न माफी मांगी और न ही किसी भारतीय प्रेस नियामक प्राधिकार या कौंसिल ने इस बाबत किसी तरह की कार्रवाई की। क्या यह किसी कार्यशील और गतिशील जनतंत्र की निशानी है? क्या इससे यह साफ नहीं होता कि इस वक्त अपने समाज में 'फेक न्यूज' और 'हेट न्यूज' के सबसे बड़े स्रोत कुछ 'मोबाइल मेसेजिंग ऐप' के अलावा सरकार का 'बैंड-बाजा बने' टीवी न्यूज चैनल ही हैं? ये चैनल खास राजनीतिक एजेंडे के तहत झूठी या नफरती खबरों का धंधा करते हैं। कुछ शक्तिशाली संगठनों द्वारा इनकी खबरों का अपने राजनैतिक-औंजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया और खबर के धंधे की ऐसी अमर्यादित और कलंकित तस्वीर कहां मिलेगी!

महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के एक पैकेज की घोषणा की थी। उसमें स्वास्थ्य सेवा संरचना के विकास के लिए भी एक निश्चित रकम शामिल होने का दावा किया गया था। 'पीएम केयर' नामक एक अलग कोष भी बना, जिसकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं सुनिश्चित की गई। इन मदों से कुछ हजार वेंटिलेटर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए मास्क और पीपीई किट्स आदि खरीदे जाने की सूचना सामने आई। पर स्वास्थ्य सेवा संरचना के विस्तार और विकास के लिए केंद्र ने राज्यों को कितना सहयोग दिया? कुछेक राज्यों को जो रकम मिली, वह उनके आपदा प्रबंधन फंड की लंबित राशि के हिस्से के तौर पर थी। इस कोष से जिन राज्यों को पहले रकम मिल चुकी थी, उन्हें कोविड-19 से निपटने के लिए खास सहयोग नहीं मिला। अब तो राज्यों को जीएसटी की लंबित किस्तें तक नहीं मिल रही हैं।

दुनिया भर की मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार ने भारत की चढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, लेकिन क्या मजाल कि हमारे मीडिया, खासतौर पर न्यूज चैनलों पर इस बाबत किसी तरह की चर्चा हो! जब अपने देश में कोविड-19 से प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या कई बड़े देशों के बीते छह से नौ महीने में कुल संक्रमित लोगों की संख्या को पार करने लगी तो हमारे न्यूज चैनलों के पर्दे पर सुशांत-रिया कथा किसी धारावाहिक के तौर पर चल पड़ी। शुरू में ही सरकारी पहल पर रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय धार्मिक धारावाहिकों की पब्लिक ब्राडकास्टर्स पर वापसी हुई थी। पर इन फार्मूलों से न तो महामारी थमनी थी और न अर्थव्यवस्था की ढलान रुकनी थी। न्यूज चैनल फिर भी सत्ता की अनुशासित बटालियन की तरह डंटे रहे।

ऐसे में इन कथित न्यूज चैनलों को मीडिया कैसे कहा जा सकता है? उनमें मीडिया जैसा क्या बचा है, जिसके आधार पर उन्हें मीडिया या यहां तक कि गोदी मीडिया कहें? फिलहाल तो वे सिर्फ सत्ता के 'राजनीतिक औंजार' नजर आ रहे हैं, ऐसे औंजार जिनका 'प्रयोग' जनता और समाज को भ्रमित, अशिक्षित और अपसूचित करने में हो रहा है! इसका कोई समाजशास्त्र नहीं है, सिर्फ 'राजनीतिक षडयंत्र-शास्त्र' है और वह है- महामारी, बेकारी, महंगाई और चारों तरफ मंडराती मौत की असलियत से आम लोगों का ध्यान हटाना। इसके लिए टेलीविजन को औंजार बनाया गया है। बड़े घटनाक्रमों की सूचना और तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय टेलीविजन के जरिये खबरिया बुलेटिनों और सायंकालीन चर्चाओं को वीभत्स धारावाहिकों में तब्दील किया गया है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के हमले से बेहाल समाज और नागरिक जीवन पर चैनलों के सियासी औंजार का यह सत्ता-प्रायोजित हमला हमारे वक्त की बड़ी त्रासदी है! ❑

श्रद्धांजलियां

स्वामी अग्निवेश

सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है. वो 81 वर्ष के थे. स्वामी अग्निवेश ने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम साँस ली. उन्हें लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम ने बताया कि 'लिवर सिरोसिस से पीड़ित स्वामी अग्निवेश के कई प्रमुख अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अंतिम वक्त में वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.'

21 सितंबर 1939 को आंध्र प्रदेश में पैदा हुए स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे. बंधुआ मज़दूरों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले और नोबेल जैसा सम्मानित समझा जाने वाला 'राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड' पा चुके स्वामी अग्निवेश के व्यक्तित्व को लेकर समाज में कई तरह की राय रही हैं. स्वामी अग्निवेश शिक्षक और वकील रहे। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम के एंकर की भूमिका भी निभाई और रियलिटी टीवी शो बिग बॉस का भी हिस्सा रहे.

1970 में उन्होंने एक राजनीतिक दल 'आर्य सभा' की शुरुआत की थी और आपातकाल के बाद हरियाणा में बनी सरकार में वे मंत्री रहे. बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ़ उनकी दशकों की मुहिम जगज़ाहिर है, उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की शुरुआत की और हमेशा ही रूढ़िवादिता और जातिवाद के खिलाफ़ लड़ते रहे. अस्सी के दशक में उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ़ भी आंदोलन चलाया था.

2011 के जनलोकपाल आंदोलन के समय इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर धन के ग़बन का आरोप लगाया और मतभेदों के चलते इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से दूर हो गए थे. माओवादियों और सरकार के बीच बातचीत में उनकी मध्यस्थता के लिए भी स्वामी अग्निवेश को याद किया जाता है.

आर्य समाजी होने के कारण वे मूर्तिपूजा और धार्मिक कुरीतियों का हमेशा विरोध करते रहे. उन्होंने कई बार ऐसी बातें खुलकर कहीं, जो धार्मिक लोगों को बहुत नागवार लगती रही हैं. सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जीवन खपा देने वाले स्वामी अग्निवेश के साथ जुड़ा एक बेहद अप्रिय प्रसंग तब हुआ, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के के बाद वे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। संघ और भाजपा के समर्थकों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और बुरी तरह पिटाई की। स्वामी अग्निवेश को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा था। इस मारपीट में उनके लीवर में काफी चोट आयी थी। यही चोट लीवर सिरोसिस का कारण बनी, जो अंततः उनकी मृत्यु का भी कारण बनी।

वशिष्ठ कुमार

वरिष्ठ सर्वोदय सेवक तथा जयपुर जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार का 30 अगस्त 2020 को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे तथा लंबे समय से अस्वस्थ थे। वशिष्ठ कुमार एक कुशल वक्ता, अधिवक्ता तथा जुझारू कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन में अनेक राज्य स्तरीय छात्र आन्दोलनों का नेतृत्व व संचालन किया। 1954 से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में क़दम रखा, राजस्थान के बाहर के अनेक प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व किया और समाचार पत्र 'जनपद' के संस्थापक संपादक रहे।

वे पत्रकार संगठनों में जीवनपर्यन्त सक्रिय रहे। वे पत्रकारों के सबसे पुराने संगठन' इण्डियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को प्रदेश स्तर पर संगठित किया। वे पिंकसिटी प्रेस क्लब जयपुर के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही उपाध्यक्ष भी रहे। पिछले कई दशकों से वे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने राजस्थान प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला। नशाबंदी के काम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सर्व सेवा संघ उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

नम्बिडी मास्टर जी

त्रिचूर जिला सर्वोदय मंडल, केरल के अध्यक्ष एमके कनहुनी नम्बिडी मास्टर जी का 10 सितंबर 2020 को केरल में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के सदस्य रहे मास्टर जी कस्तूरबा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष थे। केरल सर्वोदय मंडल और उनकी जनसेवा की भावना से अभिभूत स्थानीय समाज मास्टर जी के निधन से मर्माहत है। दक्षिण भारत में भाषाई विवादों से इतर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

प्यारे मोहन त्रिपाठी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित एसोसिएशन ऑफ वालंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट (अवार्ड) के अध्यक्ष प्यारे मोहन त्रिपाठी का 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वे जेपी के निकट सहयोगी थे। गांधीवादी स्वैच्छिक संस्थाओं के विकास तथा क्षमतावर्द्धन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी विनम्रता, सादगी और गहन वैचारिक क्षमता के चलते लोग अनायास उनसे जुड़ जाते थे। उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर वे ग्रामीण विकास के रचनात्मक कार्य में लगे और गांधी वैचारिकी द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शन के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के कोषाध्यक्ष भी रहे।

सर्व सेवा संघ सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा दुख की इस घड़ी में उनके परिवार जनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

साम्प्रदायिक सौहार्द की मानवीय पहल का प्रतिवेदन

5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ देश भर में एक उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया। इसी उत्साह में जमुई जिले के सदर थानांतर्गत बुकार गांव में अष्टजाम का आयोजन किया गया था। उस गांव में लगभग 40 घर मुस्लिम समुदाय के हैं। पड़ोस में मुस्लिम समुदाय का बानपुर गांव है, जहां की आबादी लगभग 5000 है। 5 अगस्त को मूर्ति विसर्जन का जुलूस मस्जिद के सामने से जाने के क्रम में विरोध हुआ और ईंट पत्थर बरसना शुरू हुआ। मामूली झड़प के बाद तनाव उत्पन्न हो गया। आगे के दो दिनों में मामले ने शांति का रुख कर लिया था, किंतु 7 अगस्त को स्थानीय विधायक ने अपना कार्यक्रम रखा। सौहार्द संभलने के बजाय बिगड़ गया। परिणाम यह हुआ कि बानपुर के दो निर्दोष मुस्लिम युवकों को विधायक जी की उपस्थिति के बीच चुपके से भीड़ से अलग कर एक स्कूल में बन्द कर गया। एक तो भागने में सफल हो गया, दूसरा मारा गया। उसकी लाश दो दिन बाद एक नदी किनारे मिली। कुछ लोग नामजद हुए और शेष अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस की दबिश बनी। महिला पुरुष सबको पकड़कर पकड़कर जेल भेजा जाने लगा।

गांव का हाल बेहाल हो गया। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और पशुओं को कोई पूछने वाला नहीं था। आजीविका के साधन ठहर गये। ऐसे में हम गांधीजनों ने मोर्चा संभाला। डॉ. मनोज झा, डॉ. मनोज मीता, सुधीर भाई, सुधांशु जी, भावानंद भाई और नंदलाल भाई के साथ गांव में पहुंचकर हम लोगों ने अमन और सौहार्द के प्रयास शुरू कर दिये। यादव टोला, रावत टोला, ब्राह्मण टोला, मुस्लिम टोला और राजपूत टोला, हम हर जगह पहुंचे और लोगों के बीच आपसी प्रेम और अहिंसा के विचार रखे। हमारे सामूहिक सद्प्रयत्नों के चलते दोनों समुदायों के बीच गुस्से और नफरत का वातावरण कुछ कम हुआ और लोगों में माहौल सामान्य बनाने के प्रति उत्सुकता जगी। मीडिया और प्रशासन का ध्यान भी इस ओर गया। दूसरे गांवों से भी धीरे-धीरे मदद पहुंचनी शुरू हुई।

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे समय में, जबकि साम्प्रदायिक सौहार्द एक चिनगारी से ही सुलग उठता हो, प्रशासन और मीडिया के बीच आपसी संवाद की बहुत जरूरत है। गांवों में सांस्कृतिक गतिविधियों से भी वातावरण ठीक बनाये रखने में मदद मिलती है। स्वरोजगार प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए समय-समय पर शिविरों और गोष्ठियों का आयोजन भी होते रहना चाहिए।

गांधी-विचार-साहित्य सेट

सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, धीरेन्द्र मजूमदार, दादा धर्माधिकारी, कांति शाह, डॉ. श्रीभगवान सिंह और सुजाता द्वारा लिखी 18 पुस्तकों का एक सेट तैयार किया है। इस सेट में शामिल सभी किताबों को मिलाकर पृष्ठों की संख्या 3558 है तथा सबका सम्मिलित मूल्य रुपये 1,535/- है। सर्व सेवा संघ प्रकाशन की पुस्तकों पर मिलने वाली छूट और डाकखर्च आदि का हिसाब करके यह निर्णय लिया गया है कि 18 पुस्तकों का यह सेट पाठकों को रुपये 1,100/- में उपलब्ध कराया जायेगा। अगर आप यह पूरा सेट मंगवाना चाहते हैं तो रुपये 1,100/- के चेक/ऑनलाइन ट्रान्जैक्शन अथवा डीडी के साथ अपना आर्डर सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-221001 (उत्तर प्रदेश) के पते पर या ईमेल sarvodayavns@yahoo.co.in पर भेजें। **–प्रकाशक**

क्रम	पुस्तक नाम	लेखक	मूल्य	पृष्ठ सं.
1.	बुनियादी शिक्षा	महात्मा गांधी	85/-	148
2.	सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा	महात्मा गांधी	195/-	416
3.	सर्वोदय	महात्मा गांधी	20/-	36
4.	गीता प्रवचन	आचार्य विनोबा	130/-	275
5.	शिक्षण विचार	आचार्य विनोबा	100/-	240
6.	अहिंसा की तलाश (आत्मकथा)	आचार्य विनोबा	170/-	280
7.	सर्वोदय और साम्यवाद	आचार्य विनोबा	40/-	110
8.	भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानी	जयप्रकाश नारायण	15/-	48
9.	सम्पूर्ण क्रांति	जयप्रकाश नारायण	20/-	63
10.	आमने-सामने	जयप्रकाश नारायण	10/-	52
11.	जयप्रकाश की जीवन-यात्रा	कांति शाह	125/-	294
12.	समग्र ग्राम सेवा की ओर	धीरेन्द्र मजूमदार	120/-	518
13.	क्रांति : प्रयोग और चिन्तन	धीरेन्द्र मजूमदार	100/-	301
14.	सर्वोदय-दर्शन	दादा धर्माधिकारी	100/-	265
15.	गांधी अर्थ-विचार	जे.सी. कुमारप्पा	30/-	64
16.	गांधी और अम्बेडकर	डॉ. श्रीभगवान सिंह	85/-	120
17.	गांधी और सुभाष	सुजाता	130/-	220
18.	गांधी और भगत सिंह	सुजाता	60/-	108

देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

लोक स्वातंत्र्य संगठन की राष्ट्रीय समिति द्वारा 28 अगस्त से 5 सितम्बर के बीच आहूत देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के आलोक में लोक स्वातंत्र्य संगठन, सिंहभूम द्वारा 5 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लोक स्वातंत्र्य संगठन के सदस्यों के अलावा लोकतंत्र और मानवाधिकारों के पक्षधर विभिन्न राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। लोक स्वातंत्र्य संगठन की मांगें थीं—केंद्र सरकार भीमा कोरेगांव से संबंधित सारे मामलों को वापस ले और इनमें गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करे. स्त्रीएए-एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों और अन्य सिविल राइट कार्यकर्ताओं पर लगे झूठे आरोपों को तुरंत वापस ले और सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा करें. यूएपीए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आईपीसी की धारा 124A (देशद्रोह) जैसे कानून खारिज किये जाएं और सीएए को रद्द किया जाए, जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाए और अनुच्छेद 370 और 35 (क) को पुनः बहाल किया जाए तथा जम्मू और कश्मीर में गैरक़ानूनी तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को छोड़ा जाय और जिन्हें बेल दिया जा सकता है, उन्हें बेल पर छोड़ा जाय ताकि कोविड के खतरे को कम किया जा सके। सभी निजी और सरकारी हस्पतालों में गैर कोविड मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रदर्शनकारियों ने डॉ नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पनसारे, एमएम कलबुर्गी व गौरी लंकेश को मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की और वैज्ञानिक मानवतावाद के अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया। **-अरविन्द अंजुम**

विनोबा की 125वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम

देश भर में विभिन्न जिला और प्रदेश सर्वोदय मंडलों की तरफ से संत विनोबा की 125वीं जयंती मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं। विनोबा के आश्रमों, संस्थाओं तथा विनोबा के नाम पर चलने वाले विद्या व ज्ञान मंदिरों की तरफ से भी विनोबा जयंती के कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रस्तुत है विभिन्न संस्थाओं तथा विभिन्न सर्वोदय मंडलों द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों की खबरें और अन्य समाचार। **–सं.**

सीतामढ़ी जिला सर्वोदय मंडल

विनोबा जी की 125वीं जयन्ती जिला सर्वोदय मंडल सीतामढ़ी (बिहार) के तत्वावधान मे डॉ. आनन्द किशोर की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

कार्यक्रम में डॉ. आनन्द किशोर के साथ गांधीवादी चिंतक प्रमोद कुमार मिश्रा, जिला मंत्री हरिनारायण सिंह, नगर अध्यक्ष लालबाबू मिश्र, खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद, मंत्री सीताराम मंडल, ताराकांत झा, चन्द्रेश्वर प्रसाद,मो गयासुद्दीन,जलंधर यदुबंशी और निरंजन कुमार सहित कई वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संत विनोबा ने सामाजिक परिवर्तन हेतु गांधी के पदचिन्हों पर चलकर 13 वर्ष तक पैदल देश भ्रमण करके 47.5 लाख एकड़ जमीन दान में लेकर एक क्रांतिकारी काम किया। इतने लम्बे अरसे बाद विनोबा के दान की भूमि पर भी गरीबों को कब्जा दिलाने में अब की सरकारें विफल है। विनोबा जी ने विश्व शांति की भावना से शांति सेना का गठन किया। उन्होंने हमें निर्भय होकर प्रेम से जीना सिखाया। विनोबा कहते थे कि द्वेष को हम द्वेष से नही मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। आज देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों, बढ़ती अशांति, तनाव व अराजकता के माहौल में छात्र-नौजवानों को विनोबा के विचारों का अध्ययन करने, उनसे सीखने तथा प्रेरणा लेने की जरूरत है। **-आनंद किशोर**

सुपौल जिला सर्वोदय मंडल

11 सितंबर को भूदान किसानों के साथ बाबा विनोबा जी का 125वां जन्मदिन चौधरी विशनपुर में सुपौल जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष सूर्यनारायण भारती के नेतृत्व में मनाया गया। सर्व धर्म प्रार्थना और बाबा के विचारों पर चर्चा के उपरांत भूदान किसानों को पौधे भी बांटे गये। **- पंचम भाई**

झारखंड सर्वोदय मंडल

झारखण्ड सर्वोदय मंडल के तत्वावधान में आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विनोबा भावे की जीवन यात्रा और भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म दिखाई गईं। तत्पचात उनके विचारों पर चर्चा की गई। महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता, पूरे विश्व को परिवार मानने, गांधी जी के उतराधिकारी के रूप में प्राप्त विश्वास को सरजमीं पर उतारने की जिजीविषा और स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई अविमस्मरणीय भूमिका की चर्चा करते हुए झारखण्ड सर्वोदय मित्र मंडल के संयोजक डॉ विश्वनाथ आजाद ने कहा कि भूदान आंदोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका गरीब भूमिहीनों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। **- विश्वनाथ आजाद**

उन्नाव जिला सर्वोदय मंडल

उन्नाव जिला सर्वोदय मण्डल ने आचार्य विनोबा भावे की जयन्ती 11 सितंबर को मनायी। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष नसीर भाई, पूर्व अध्यक्ष रामशंकर भाई, संस्था के उपाध्यक्ष राम सजीवन भाई, वरिष्ठ सदस्य और पूर्व शिक्षक सीता राम गुप्ता, संस्था के मीडिया प्रभारी अनुपम जी आदि मौजूद रहे। कम लोगों के बीच विनोबा जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर सार्थक चर्चा हुई। **-रघुराज मगन**

कुंज विद्यापीठ, बलिया

11 सितंबर को कुंज विद्यापीठ, हथौज, जनपद - बलिया, उत्तर प्रदेश के प्रांगण में विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गयी। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने संत विनोबा को हृदयांजलि अर्पित किया तथा एक भजन के माध्यम से संपूर्ण जगत में प्रेम के प्रसार का संकल्प लिया और कुंज विद्यापीठ परिसर में पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में अंजनी कुमार गिरी, रामजी भाई, धनंजय राय, अशोक कुमार कश्यप, राजीव कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार कश्यप, आशीष कुमार कश्यप, स्वीकृति राय, कबीर विनायक, कार्तिकेय पुष्प, विशेष राय आदि उपस्थित रहे।**- धनंजय राय**

विनोबा ज्ञान मंदिर जयपुर

11 सितंबर को 'विनोबा ज्ञान मंदिर', बापू नगर, जयपुर में विनोबा जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कताई, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एवं सर्वधर्म प्रार्थना की गयी। कार्यक्रम में जयपुर गोसंवर्धन समिति के अध्यक्ष डॉ. डी. एस. भंडारी, राजस्थान गोसेवा संघ के मंत्री बी. एल. लश्करी, राजस्थान समग्र सेवा संघ के अध्यक्ष सवाई सिंह, पवनार आश्रम के गोपाल शरण आदि ने भाग लिया और संत विनोबा भावे की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉ. अमित कुमार ने किया। **–अवध प्रसाद**

केन्द्र की नीति के खिलाफ सर्वोदय मित्र मंडल का धरना

झारखंड सर्वोदय मित्र मंडल व लोक स्वातंत्र्य संगठन की हजारीबाग ईकाई ने मिलकर समाहरणालय के सामने धरना दिया। भीमा कोरेगांव, दिल्ली दंगा और सीएए-एनआरसी के प्रतिवाद में शामिल आंदोलनकारियों के खिलाफ केन्द्र सरकार की कार्रवाई के विरोध में धरना दिया गया। 11 बजे से 2 बजे तक हजारीबाग के साथी धरने पर बैठे। झारखंड सर्वोदय मित्र मंडल संयोजक डॉ. विश्वनाथ आजाद ने धरने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह धरना देश में कोरोना की आड़ में सरकारी साजिश के खिलाफ है। यह धरना जेल में बंद भीमा कोरेगांव के 12 लोगों के समर्थन के लिए और देश की संवैधानिक संस्थाओं की दिन प्रतिदिन गिरती साख और बदहाली के विरोध में है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। बृजभूषण गुरु ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश में गैर संवैधानिक कार्यों में लिप्त है और लाल किले से झूठ परोस रही है। धरने को संबोधित करने वालों में कृष्णा राम ठाकुर, अधिवक्ता हरदयाल श्रीवास्तव और सोनाली आदि शामिल थी। **- विश्वनाथ आजाद**

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

गांधीजी

❑ अंचल

गीत तुम्हारे गाते-गाते
हम तुमको ही भूल गये।
तुमने जीवन को पहचाना,
हम न तुम्हें पहचान सके,
तुमने मरकर दुनिया जीती,
हम कब तुमको जान सके।
जाती हैं सब ओर तुम्हारी
किरणें पर हम भरमाए,
देव तुम्हारे पुष्पों को हम
अब तक खोज नहीं पाये।
याद हमें जयनाद तुम्हारा
पर हम तुमको भूल गये,
गीत तुम्हारे गाते-गाते
हम तुमको ही भूल गये।
आज तुम्हारे आदर्शों की
छाया भी अवशेष नहीं,
भरी नदी में जैसे गति को
धड़कन का आवेश नहीं।
मरणशील इतिहास बन गयी
आज तुम्हारी कुरबानी,
क्षण-भर को भी तुमने तुम
जैसे की लाज नहीं मानी।
शपथ तुम्हारी खाते-खाते
हम तुमको ही भूल गये,
गीत तुम्हारे गाते-गाते
हम तुमको ही भूल गये।
मंद नहीं होते वन्दन के स्वर,
तुम तो भगवान बने,
हम पर-पीड़न में, शोषण में
और बड़े प्रणवान बने।
पूजा का पाषाण बनाकर
हमने तुमको रख छोड़ा,
मंदिर में अगणित पत्थर थे,
एक अधिक उनमें जोड़ा।
मंदिर में ठहराया तुमको,
हम पापों में झूल गये।
गीत तुम्हारे गाते-गाते,
हम तुमको ही भूल गये।
मन के शैल-शिखर को तुमने
सदा ज्योति से नहलाया,
जीवन के कुंजों पर तुमने
की शीतलता की छाया।
सबके सुख के सार्थवाह तुम
शांति-साधना के साधक,
तुम्हें बिदाकर बने अनैतिकता के
हैं हम आराधक।
साथ तुम्हारे सत्य-अहिंसा
के दो जीवन-मूल गये,
गीत तुम्हारे गाते-गाते
हम तुमको ही भूल गये!

काल-पुरुष

❑ केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'

विश्व के हा! हा! रव के बीच
तुम्हारा जब गूंजा आह्वान,
तृणों के तृषित अधर को चूम
दौड़-सी गई मृदुल मुस्कान।
रहा जो रक्त-पान में लीन
निरंतर तर्क-शक्ति के साथ,
भरे आंखों में घृणा अपार,
रुधिर लिपटाए दोनों हाथ,
रहा जो रक्त-पान में लीन
ध्वस्त कर जग की सारी कांति,
ध्वस्त कर धरणी का छवि-जाल,
ध्वस्त कर अखिल भुवन की शांति,
हृदय उस मानव का तत्काल
हुआ विस्मय से मुग्ध महान,
कि उतरा कौन भूमि पर आज
प्रेम का ले पावन वरदान!
शून्य ने किया शून्य से प्रश्न—
न जाने क्यों सिहरा संसार!
कि किसके पथ पर आज अनन्द
अनिल उमड़ा बनकर जयकार!
कि फैला किसके तप का तेज
पिघलने लगे निठुर पाषाण,
द्विधा में पड़ा द्वेष गंभीर,
घृणा या प्रेम—कहां कल्याण?
चिता-लपटों के बीच अधीर
भैरवी भूल गई शृंगार,
सोचने लगी नियति निस्तब्ध
कि किसने किया मरण से प्यार।
देख भूतल पर क्रांति समग्र
देखकर रुका प्रलय का काण्ड,
चकित-सा देख कि तम के बीच
ध्वंस से बचा खड़ा ब्रह्मांड,
उठीं शंकर की आंखें नाच,
खिंचा अधरों पर उज्जवल हास
कि मानों लहरों पर रंगीन
जगा हो सोते से मधुमास।
देख पति की चितवन में दिव्य
नाश के बदले नव उल्लास,
पुलक-आकुल अंगों में देख
अपरिचित एक नवीन हुलास।
उमा की वाणी खुली अधीर—
प्रलय के प्रभु! यह कैसा हर्ष?
रहे दृग आज दृगों में देख
नया पल, नया दिवस, नव वर्ष।
बिहंसकर हंसकर फिर चुपचाप
सजा धीरे से पन्नग-माल,
शिवा को कर उमंग से प्यार,
दिया शिव ने उत्तर तत्काल,
स्वर्ग का सुधासिक्त अभिराम
अमर-मंगल आलोक अनूप,
हुआ अवतरित धरा पर धन्य,
प्रिये! धर काल-पुरुष का रूप।
कि जिसने लिया द्वेष को चूम,
घृणा को दिया हृदय का प्यार,
कि जिसने ली श्वासों में बांध,
सजल-करुणा की दीन-पुकार।
कि जिसने दिया व्यथा को अश्रु,
अश्रु को जल उठने का भाव,
कि जिसने तूफानों के बीच
छोड़ दी अपनी जीवन-नाव;
कि जिसने पिया प्रेम से झूम
विश्व का सहा घृणा, अपमान,
किया था जैसे मैंने, देवि!
सुरों के लिए हलाहल-पान।
रूप धर काल-पुरुष का आज,
भूमि पर उतरा वह आलोक
कि जिसने तनिक दृगों से देख
लिया उन्मत्त प्रलय को रोक।
कि जिसके शब्दों से सुकुमार
रहे मेरे ज्वाला-कण झांक,
पुरातन का सौन्दर्य-विधान
दिया जिसने कण-कण में आंक।
कि जिसकी निर्मल कीर्ति अखंड,
किये नभ-चुम्बी गिरि-पाषाण
कि जिसके प्रण-प्रदीप की ज्वाल
रही छू मानवता के प्राण।
हुए गौरीपति ज्यों ही मौन,
किया नवयुग ने जयजयजकार।
विश्व ने देखा भाव-विभोर,
रहे तुम खोल मुक्ति का द्वार। ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए प्रकाशक अरविन्द अंजुम द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार